

सत्यमेव जयते

# वित्त लेखे (खण्ड -I) 2018-19



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



## हिमाचल प्रदेश सरकार



# वित्त लेखे

खण्ड-I

2018-19

हिमाचल प्रदेश सरकार



**खण्ड-I**



## विषय सूची

विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-I</b>	
■ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(iii-vii)
■ वित्त लेखाओं की प्रदाशिका (प्रस्तावना)	(ix-xiv)
1 वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2 प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी	4-8
अनुबंध-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	
3 प्राप्तियों की विवरणी(समेकित निधि)	9-11
4 व्यय की विवरणी(समेकित निधि)	12-15
5 प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	16-19
6 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	20-23
7 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	24-25
8 सरकार के निवेशों की विवरणी	26
9 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	27
10 सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	28-30
11 दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	31
12 राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	32-35
13 समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	36-37
■ लेखाओं पर टिप्पणी	38-52
<b>खण्ड-II</b>	
<b>भाग-I विस्तृत विवरणियां</b>	
14 लघु शीर्षो-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	53-71
15 लघु शीर्षो-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	72-113
16 लघु शीर्ष तथा उप शीर्ष -वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	114-148
17 उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	149-160
18 सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	161-167
19 निवेशों की विस्तृत विवरणी	168-181
20 सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	182-184
21 आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	185-191
22 चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	192
<b>खण्ड-II</b>	
<b>भाग-II परिशिष्ट</b>	
(I) वेतन पर तुलनात्मक व्यय	193-199
(II) सहायता पर तुलनात्मक व्यय	200-205
(III) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	206-233
(IV) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	234-235
(V) योजना स्कीम व्यय	236-238
(क) केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना, केन्द्रीय योजना स्कीम)	
(ख) राज्य योजना स्कीमें	

## विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
<b>खण्ड-II</b>		
<b>भाग-II परिशिष्ट</b>		
(VI)	राज्य की कार्यालयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं)(अलेखापरीक्षित आंकड़े)	239-246
(VII)	अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	247
(VIII)	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	248
(IX)	अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	249-250
(X)	वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	251-257
(XI)	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णय तथा बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	258
(XII)	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	259



## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखे समाहित हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड-I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड-II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरणी संख्या 14, 15 एवं 20) और परिशिष्टों (IV, VIII, IX एवं XI) को हिमाचल प्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। परिशिष्ट VI को महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल से तैयार किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।



मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2018-19 वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

### मामले के महत्व

मैं इन लेखाओं की परिशुद्धता, पारदर्शिता और पूर्णता के दृष्टिकोण से लोक वित्त पर विधायी वित्तीय नियंत्रण बनाये रखने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ :

(i) वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संग्रहण के स्वचालन के साथ, लेखाओं को प्रमाणित करने के सी. ए. जी. के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए, लेखापरीक्षा को नमूना जांच के स्थान पर, सभी लेनदेनों की व्यापक जांच करना आवश्यक है। डेटा तक आवश्यक पहुंच प्रदान की जानी बाकी है। सभी जी.एस.टी. लेनदेनों से सम्बन्धित डेटा तक पहुंच नहीं होने के कारण जी.एस.टी. प्राप्तियों का व्यापक लेखापरीक्षण नहीं हो पा रहा है। इसलिए, वर्ष 2018-19 के लेखे, एक अपवाद के रूप में, नमूना जांच के आधार पर प्रमाणित किए जा रहे हैं, जैसा कि पहले अभिलेख मैनुअल होने पर किया जाता था।

(ii) राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) में संक्षिप्त आकस्मिक अग्रिमों की पहचान के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की है। अग्रिम आकस्मिक बिलों को साधारण बिलों के रूप में आहरित एवं वर्गीकृत किया जा रहा है। इन्हें अन्य वाउचरों से अलग करना सम्भव नहीं है और इसलिए आकस्मिक अग्रिमों के आहरण और विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से इनका समायोजन, प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में न ही देखा जा सका, न ही निगरानी हो सका। यह बैंक खातों में धन की पार्किंग के साथ व्यय को अधिक दर्शाने के परिणामी प्रभाव के अलावा दुर्विनियोजन/गबन के जोखिम से भरा है।

(iii) वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1,121.72 करोड़ की राशि के 1,288 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) जो देय थे, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा, 23 विभागों द्वारा प्रदान सहायता अनुदान के एवज में प्रस्तुत नहीं किए गये थे। इसके अलावा, ₹777.08 करोड़ राशि के 1,119 उपयोगिता प्रमाण पत्र जोकि वर्ष 2017-2018 तक प्रस्तुत करने हेतु देय थे, 31 मार्च 2019 तक



लम्बित थे। इस प्रकार, ₹1,898.80 करोड़ की राशि के 2,407 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2019 तक प्रस्तुत करने हेतु लम्बित थे। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹1,898.80 करोड़ की राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अत्यधिक लंबितता धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरी है।

उपरोक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा टिप्पणीयां हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तार से दी गई हैं।

दिनांक:  
स्थान: नई दिल्ली

(राजीव महर्षि)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन**

1. हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पितियों को दर्शाते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

**भाग-I: समेकित निधि:** इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी लोक ऋण, ऋण और अग्रिम (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित) इन्हें आगे, प्राप्ति एवं व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं सहायतानुदान व अंशदान। इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - आय व व्यय पर कर, वित्तीय सेवाएँ इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं। राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सहायतानुदान व अंशदान में बांटा गया है। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे - राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे सामान्य सेवाएँ, सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ, लोकऋण, ऋण एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय समाधान तथा आकस्मिकता निधि को हस्तान्तरण में विभाजित है।

**भाग-II: आकस्मिकता निधि:** यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिकता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है। इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ति किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2018-19 की आकस्मिकता निधि ₹ 5.00 करोड़ है।

**भाग-III लोक लेखा:** प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा में छः खण्ड जैसे: 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा व अग्रिम', 'उचन्त एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा, विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है।


3. सरकारी लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण जैसे: मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं उद्देश्य शीर्ष (दो अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2018 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिक निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिक निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) लघु शीर्ष स्तर तक लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखों में आंकड़े निवल रूप में, अर्थात् वसूली को व्यय में से कटौती करते हुए दिखाए जाते हैं। यह विधि, विधान मण्डल को प्रस्तुत माँगों एवं विनियोग लेखों में प्रस्तुत निधि से अलग है जहाँ व्यय को सकल रूप में दिखाया जाता है।

6. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत है:





## ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है

**खण्ड-I** में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतु राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियां, लेखाओं पर टिप्पणी तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं। खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- 1. वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।
- 2. प्राप्तियों और सवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागों: समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं सवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।
- 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों तथा दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 17 व 18 की समरूप है।
- 4. व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17, व 18 की समरूप है।
- 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।
- 6. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। अन्य देनदारियों में, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।
- 7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्त एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत्त सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।
- 8. सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।
- 9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी:** यह विवरणी साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।

10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों स्वायत्त एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों को प्रदत्त सभी सहायतानुदान को दर्शाती है। परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है।
11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।
12. **राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिये। जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरुआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार:** यह विवरणी लेखाओं को सही सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

**वित्त लेखों के खण्ड-II के दो भाग हैं:- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग-II में XII परिशिष्ट हैं।**

#### **खण्ड-II का भाग-I**

14. **लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है।
15. **लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।
16. **लघु शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को योजनागत (राज्य योजना, राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम एवं केन्द्रीय योजनागत स्कीम) तथा गैर योजनागत के अन्तर्गत दर्शाती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।
17. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात् प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षों में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती है।
18. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी इसी खण्ड के भाग-I में सार विवरणी 7 की समरूपी है।

19. **निवेशों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी वस्तुस्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच विसंगतियां यदि कोई हों, के मुख्य शीर्ष तथा लघुशीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।
20. **सरकार द्वारा प्रदत्त प्रतिभुतियों का विस्तृत विवरण:** यह विवरणी सरकारी प्रतिभुतियों के वस्तुस्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।
21. **आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्षवार विवरण दर्शाती है।
22. **चिन्हित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी:** यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

## खण्ड-II का भाग-II

**भाग-II** में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, केन्द्रीय मुख्य स्कीम एवं राज्य योजनागत स्कीम के योजनावार व्यय इत्यादि पर **बारह परिशिष्ट सम्मिलित** हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा II की विषय सूची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों का पठन, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

### ग. शीघ्र गणक:

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोड़ता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबन्धित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए हैं)।

परिमाण	सारांश तालिकाएं (खंड-I)	विस्तृत तालिकाएं (खंड-II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियाँ	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2, 10	---	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4, 5, 12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2, 12, 13	...	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2, 12, 13	21, 22	
प्रत्याभूतियाँ	9	20	

**घ. आवधिक एवं बुक समायोजन :** लेखों में दर्ज कुछ लेन-देन, उनके दर्ज करने के समय वास्तविक रोकड़ प्रवाह से संबंध नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों जैसे: कोषगार, मण्डल इत्यादि के स्तर पर घटित होते हैं। उदाहरणतः वेतन से सभी प्रकार की कटौतियाँ (सामान्य भविष्य निधि, दिए गए अग्रिमों की वसूली इत्यादि) सेवा मुख्य शीर्ष (संबंधित विभाग से संबंधित) को नामे करते हुए राजस्व प्राप्तियाँ/ऋणों/लोक लेखा प्राप्ति को पुस्तकीय समायोजन द्वारा दर्ज की जाती हैं। इसी प्रकार शून्य बिल, जहाँ समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य धन हस्तान्तरण, लेखा प्रस्तुत करने वाली इकाईयों के स्तर पर बिना रोकड़ हस्तान्तरण का लेन-देन के हो।

उपर्युक्त के अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा एवं हक.), राज्य सरकार के लेखों में निम्नलिखित प्रकृति के आवधिक समायोजन एवं पुस्तकीय समायोजन जिनका विवरण लेखाओं पर टिप्पणी के अनुबंध (खण्ड-1) एवं संबंधित विवरणियों के नीचे टिप्पणियों में वर्णित है, करते हैं। आवधिक एवं पुस्तकीय समायोजनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-

- (1) समेकित निधि को नामे करते हुए निधियों का निर्माण/ लोक लेखा में निधियों को अंशदान का समायोजन जैसे राज्य आपदा राहत निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, निक्षेप निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में जमा शीर्ष को जमा करना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) एवं राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, जहाँ पर ब्याज का समायोजन मुख्य शीर्ष 2049 ब्याज को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8009-राज्य भविष्य निधि, 8011-बीमा और पेंशन निधियाँ को क्रमशः जमा करते हुए किया जाता है ।
- (4) भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहाँ केन्द्रीय ऋणों की माफी को मुख्य शीर्ष "0075-विविध सामान्य सेवाएँ," को जमा एवं मुख्य शीर्ष "6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम " को क्रांदा प्रविष्टि करके किया जाता है) राजस्व प्राप्तियों एवं लोक ऋण दोनों शीर्षों को प्रभावित करते हैं।

**ड. पूर्णांकित करना :** जहाँ कहीं भी ₹ 0.01 लाख/करोड़ का अन्तर है वह पूर्णांकित की वजह से है।

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

## 1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

पूँजियाँ <sup>1</sup>	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
<b>रोकड़</b>				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन		21	...	...
(ii) विभागीय शेष		21	0.16	0.16
(iii) स्थाई अग्रदाय		21	0.03	0.03
(iv) नगद शेष निवेश		21	1,02.09	7,23.72
(v) भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा		21	(-)49.58	(-)5,40.68
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश <sup>2</sup>		...	...	...
<b>पूँजीगत व्यय</b>				
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश		16	8,19	38,48.83
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय			...	3,50,98.15
<b>आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)</b>		...	...	...
<b>ऋण तथा अग्रिम</b>		7,18	69,53.33	65,07.18
<b>विभागीय अधिकारियों को अग्रिम</b>		...	...	...
<b>उचन्त तथा विविध शेष <sup>3</sup></b>		...	...	...
<b>प्रेषण शेष</b>		...	...	...
<b>प्राप्तियों से ऊपर व्यय का समन्वयी आधिक्य <sup>4</sup></b>		12	89,34.62*	1,04,51.65
<b>जोड़</b>			<b>5,48,87.63</b>	<b>5,15,05.63</b>

<sup>1</sup>परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े हैं। कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1(i) भी देखें।

<sup>2</sup>कम्पनियों आदि के शेयरों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूँजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों' में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

<sup>3</sup>इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हालांकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैक्टर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

<sup>4</sup>प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से बिल्कुल अलग है अर्थात् राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं है।

\* ₹ 43.64 करोड़ का अन्तर मुख्य शीर्ष 4000-800- पूँजीगत प्राप्तियों के अर्न्तगत लेखा बद्ध होने के कारण हुआ है।

## 1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
	लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		6,17	3,53,63.18	3,35,91.48
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम				
आयोजनेतर ऋण		6,17	3.22	3.69
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण		6,17	10,58.42	10,75.60
अन्य ऋण		6,17	0.13	0.13
आकस्मिकता निधि (कॉरप्स)		21	5.00	5.00
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		21	1,43,49.52	1,32,36.38
(ii) आरक्षित निधियां		21	3,17.60	3,25.02
(iii) जमा व अग्रिम		21	32,06.58	27,97.67
(iv) प्रेषण शेष		21	5,09.49	3,97.25
(v) उचन्त तथा विविध शेष *		21	74.49	73.41
व्यय से ऊपर प्राप्ति का समन्वयी आधिक्य ।			...	...
<b>जोड़</b>			<b>5,48,87.63</b>	<b>5,15,05.63</b>

\* पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-I), पर पाद टिप्पणी 3 देखें

## 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		संवितरण			
	2018-2019	2017-2018		2018-2019	2017-2018
<b>भाग-I समेकित निधि</b>					
<b>शाखा क: राजस्व</b>					
राजस्व प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	3,09,50.32*	2,73,67.06	राजस्व संवितरण (विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	2,94,42.11	2,70,53.16
कर राजस्व (राज्य द्वारा (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें))	75,72.81	71,07.67	वेतन <sup>1</sup> (विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -I देखें)	1,09,55.94	1,05,19.04
कर-भिन्न राजस्व (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	28,30.07*	23,63.85	सहायता अनुदान <sup>2</sup> (विवरणी संख्या 4-ख, 10 व परिशिष्ट -III देखें)	36,24.07	28,84.31
			सहायता(परिशिष्ट -II देखें)	12,82.60	9,06.79
ब्याज प्राप्तियां(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	3,85.88	3,40.54	सामान्य सेवाएं	94,61.22	91,07.36
			पेंशन(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	49,74.77	47,08.85
			ब्याज अदायगियां और ऋण सेवायें(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें)	40,21.52	37,88.22
अन्य (विवरणी संख्या 3-क देखें)	24,44.19	20,23.30	अन्य (विवरणी संख्या 4-क देखें)	4,64.93	6,10.29
संघीय शुल्क/कर के अंश (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	54,29.77	48,01.31	सामाजिक सेवाएं	29,82.42	25,68.51
			आर्थिक सेवाएं	11,26.48	10,56.84
			स्थानीय निकायों और पंचायती राज	9.39	10.29
केन्द्र सरकार से अनुदान (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	1,51,17.67	1,30,94.23	संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन (विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें)		
राजस्व घाटा(-)	...	...	राजस्व आधिक्य	15,08.21*	3,13.90
<b>शाखा ख- पूंजीगत</b>					
पूंजीगत प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 व 14 देखें)	8.82	34.82	पूंजीगत व्यय (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	45,83.41	37,55.67
			सामान्य सेवाएं(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	2,27.13	1,91.78
			सामाजिक सेवाएं(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	11,87.22	11,34.96
			आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें)	31,69.06	24,28.93
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली (विवरणी संख्या 3,7 व 18 देखें)	21.82	39.61	ऋणों और अग्रिमों के भुगतान (विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें)	4,67.98	5,02.53
सामान्य सेवायें (विवरणी संख्या 18 देखें)	...	...	सामान्य सेवायें (विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें)	...	...
सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें)	0.52	2.01	सामाजिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-ख व 18 देखें)	2.00	8.00
आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 18 देखें)	13.24	29.02	आर्थिक सेवाएं (विवरणी संख्या 4-ग व 18 देखें)	4,58.38	4,91.36
अन्य (विवरणी संख्या 18 देखें)	8.07	8.58	अन्य (विवरणी संख्या 4-ड. व 18 देखें)	7.60	3.17

<sup>1</sup> सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकड़े जोड़ कर समेकित राशि दर्शाते हैं। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन पूंजीगत परिव्यय शामिल नहीं है किसी समय वेतन पूंजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते हैं। आंकड़े केवल उद्देश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते हैं। (आर.ओ.पी. रहित)

<sup>2</sup> सांघिक निगम, कम्पनियां, स्वायत्त संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है। यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समानुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

\* इनमें ₹11.53 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 59(खण्ड-II) पर पाद टिप्पणी देखें।



## 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		संवितरण			
	2018-2019	2017-2018		2018-2019	2017-2018
<b>शाखा ख- पूंजीगत</b>					
लोक ऋण प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	64,27.40	56,00.29	लोक ऋण संवितरण (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	46,73.35	34,99.85
आंतरिक ऋण <sup>&amp;</sup> (बाजार ऋण; एन एस एस एफ इत्यादि) (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	63,59.99	55,18.40	आंतरिक ऋण <sup>3</sup> (बाजार ऋण, एन एस एस एफ इत्यादि) (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	45,88.28	34,20.95
केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें)	67.41	81.89	केन्द्र सरकार से ऋण (विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें)	85.07	78.90
अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)	...	...	अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)	...	...
जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां (विवरणी संख्या 3 देखें)	3,74,08.37*	3,30,41.78	जोड़ समेकित निधि संवितरण (विवरणी संख्या 4 देखें)	3,91,66.85	3,48,11.21
समेकित निधि में घाटा	(-17,58.48)	(-17,69.43)	समेकित निधि में आधिक्य	...	...
<b>भाग-II आकस्मिकता निधि</b>					
आकस्मिकता निधि	...	...	आकस्मिकता निधि	...	...
<b>भाग-III लोक लेखा<sup>3</sup></b>					
लघु बचत (विवरणी संख्या 21 देखें)	37,53.46	37,68.05	लघु बचत (विवरणी संख्या 21 देखें)	26,40.31	23,76.08
आरक्षित ऋण परिशोध कोष (विवरणी संख्या 21 देखें)	5,00.34	4,20.27	आरक्षित ऋण परिशोध कोष (विवरणी संख्या 21 देखें)	5,07.77	3,14.82
जमा (विवरणी संख्या 21 देखें)	35,18.78	28,21.54	जमा (विवरणी संख्या 21 देखें)	31,09.86	26,32.92
अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)	61.66	52.34	अग्रिम (विवरणी संख्या 21 देखें)	61.66	52.34
उचन्त तथा विविध (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,61,27.15	4,29,93.25	उचन्त तथा विविध <sup>4</sup> (विवरणी संख्या 21 देखें)	3,55,04.44	4,30,76.31
प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)	74,47.76	68,54.26	प्रेषण (विवरणी संख्या 21 देखें)	73,35.52	67,85.23
जोड़ प्राप्तियां लोक लेखा (विवरणी संख्या 21 देखें)	5,14,09.15	5,69,09.71	जोड़ संवितरण लोक लेखा (विवरणी संख्या 21 देखें)	4,91,59.56	5,52,37.70
लोक लेखा में घाटा	...	...	लोक लेखा में आधिक्य	22,49.59	16,72.01
आदि रोकड़ शेष	(-5,40.68)	(-4,43.27)	अन्त रोकड़ शेष	(-49.58)	(-5,40.68)
रोकड़ शेष में वृद्धि	...	(-97.41)	रोकड़ शेष में कमी	4,91.10	...

[3] विस्तृत विवरण के लिए विवरणी संख्या 6 व 17 देखें।

[4] अन्य लेखे जैसे कि नगद शेष लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादी उचन्त तथा विविध में सम्मिलित है। इन अन्य लेखे की वजह से आंकड़े अत्यधिक प्रतीत हो सकते

है। कृपया विवरण विवरणी संख्या 21 में देखें।

\* विवरण के लिए \* पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या 4 (खण्ड-1) पर देखें।

& इनमें केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि का ₹5,38.25 करोड़ शामिल है। (पृष्ठ संख्या 20 (खण्ड-I))

**विवरणी संख्या 2 का अनुबंध**  
रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

	1 अप्रैल 2018 को	31 मार्च 2019 को
	1	2
	(₹करोड़ में)	
<b>(क) सामान्य रोकड़ शेष</b>		
(1) कोषागारों में रोकड़	...	...
(2) पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	...	...
(3) रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां *	(-)5,40.68	(-)49.58 (क)
<b>जोड़</b>	<b>(-)5,40.68</b>	<b>(-)49.58</b>
(4) नगद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश-	7,23.72	1,02.09
<b>जोड़ (क)</b>	<b>1,83.04</b>	<b>52.21</b>
<b>(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-</b>		
(1) विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण कार्यो इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03
<b>जोड़(ख)</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>
<b>जोड़ (क) और (ख)</b>	<b>1,83.23</b>	<b>52.70</b>

\*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह मई 2019 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2018-19के लेने देन से सम्बद्ध अन्तर्संरकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है।

(क) लेखे में दर्शाए ₹ 49.58 करोड़ (जमा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों ₹ 45.28 करोड़ (नामे) में ₹ 4.30 करोड़ (जमा) का अन्तर है, ₹ 2.80 करोड़ (नामे) के अन्तर का समाधान हो चुका है तथा ₹ 1.50 करोड़ (जमा) का बकाया अन्तर समाधानाधीन है। (मई 2019)

**विवरणी संख्या 2 का अनुबंध**  
**रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश**  
**व्याख्यात्मक टिप्पणी**

(क) **नगदी तथा नगदी तुल्यमानः-** नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिती का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया है।

(ख) **दैनिक नगदी शेषः-** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष\* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित अर्न्तसरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कोई हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) **अर्थोपाय अग्रिमः-** राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 01.02.2016 से ₹5,50.00 करोड़ थी। सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा की सीमा में संशोधन किया जाता है।

\* उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च 2019 का, परन्तु मई 2019 को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2019 का दैनिक शेष नहीं है।

**विवरणी संख्या 2 का अनुबंध**  
**रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश**  
**व्याख्यात्मक टिप्पणी**

वर्ष 2018-19 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(i) कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	346
(ii) साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	19
(iii) विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	...
(iv) उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	...
(v) जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	...

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान भारत सरकार के 14 दिन के खजाना बिलों को 133 अवसरों पर ₹ 3,38,79.73 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 205 अवसरों पर ₹ 3,45,01.36 करोड़ रिडिस्काउंट किया और सरकार के 91 दिन के खजाना बिलों को 2 अवसरों पर ₹ 7,86.52 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष के दौरान 2 अवसरों पर ₹ 7,86.52 करोड़ रिडिस्काउंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् है:-

	1 अप्रैल 2018 को आदि शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान खरीद	वर्ष 2018-19 के दौरान बिक्री	31 मार्च 2019 को अंतशेष	वर्ष 2018-19 के दौरान ब्याज वसूली
1	2	3	4	5	6
	(₹ करोड़ में)				
भारत सरकार के खजाना बिल	7,23.72	3,46,66.25	3,52,87.88	1,02.99	66.90
<b>जोड़</b>	<b>7,23.72</b>	<b>3,46,66.25</b>	<b>3,52,87.88</b>	<b>1,02.99</b>	<b>66.90</b>

## 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

क	विवरण	वास्तविक	
		2018-19	2017-18
क 1	कर राजस्व		
	निजी कर राजस्व	75,72.81	71,07.67
	राज्य माल एवं सेवा कर (एस जी एस टी)	33,42.68	18,33.16
	राज्य आबकारी	14,81.63	13,11.25
	बिक्री कर (बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर)	11,85.43	25,25.87
	अन्य कर	7,91.74	7,12.40
	वाहनों पर कर	4,08.01	3,67.16
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	2,50.55	2,29.18
	माल एवं यात्री कर	1,04.38	1,11.69
	भू-राजस्व	8.39	16.96
क 2	कर निवल आगमों का अंश	54,29.77	48,01.31
	निगम कर	18,88.31	14,70.67
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	13,90.66	12,41.88
	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सी जी एस टी)	13,40.15	68.36
	सीमा शुल्क	3,84.89	4,84.70
	संघीय उत्पाद शुल्क	2,55.78	5,06.50
	एकीकृत माल एवं सेवा कर (आई जी एस टी)	1,07.00	4,84.84
	सेवा कर	49.66	5,44.40
	आय तथा व्यय पर अन्य कर	9.83	...
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-	2.80	...
सम्पत्ति कर	0.69	(-0.04)	
	<b>जोड़- क कर राजस्व</b>	<b>1,30,02.58</b>	<b>1,19,08.98</b>
ख	कर-भिन्न राजस्व		
	विद्युत	11,34.34	6,87.61
	ब्याज प्राप्तियां	3,85.88	3,40.54
	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2,21.05	4,41.46
	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2,14.59	1,80.76
	लाभांश एवं लाभ	1,81.92	2,55.58
	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	98.37	38.43
	सड़कें एवं पुल	80.72	40.64
	वानिकी एवं वन्य प्राणी	76.32	46.87
	पुलिस	72.89	63.33
	लोक निर्माण कार्य	69.92	55.86
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	62.13	52.95
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51.34	40.45
	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों से सम्बन्धित अंशदान और वसूलियां	27.60	8.49
	सहकारिता	24.65	5.26
	विविध सामान्य सेवाएं	20.76 *	5.46
	लोक सेवा आयोग	13.86	10.46
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	12.02	10.27
	लेखन सामग्री और मुद्रण	11.30	10.18
	फसल कृषि-कर्म	10.94	12.28
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	9.61	8.01
	उद्योग	8.69	4.80

\* पृष्ठ संख्या 59 (खण्ड-II) में पाद टिप्पणी देखें।

## 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

ख	विवरण	(₹ करोड़ में)	
		वास्तविक	
		2018-19	2017-18
	<b>कर-भिन्न राजस्व</b>		
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8.52	5.48
	श्रम और रोजगार	7.99	6.84
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5.18	2.77
	शहरी विकास	4.29	11.26
	आवास	3.64	3.99
	मत्स्य पालन	3.38	3.38
	सूचना और प्रचार	2.08	1.96
	पर्यटन	1.33	3.27
	पशुपालन	1.18	1.16
	ग्रामीण और लघु उद्योग	0.93	0.63
	लघु सिंचाई	0.84	1.44
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.53	0.39
	सड़क परिवहन	0.38	0.83
	जेल	0.29	0.31
	अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.18	0.07
	आपूर्ति और निपटान	0.13	0.02
	मुख्य सिंचाई	0.12	0.04
	सिविल पूर्ति	0.07	0.09
	मध्यम सिंचाई	0.07	0.04
	परिवार कल्याण	0.03	..
	पौधारोपण	0.01	0.01
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.01	0.13
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	...	0.04
	<b>जोड़ -ख कर-भिन्न राजस्व</b>	<b>28,30.07 *</b>	<b>23,63.85</b>
<b>II -भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>			
<b>ग</b>	<b>सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग-6	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	40,10.49 **	35,90.26
ग-7	वित्त आयोग अनुदान	88,31.25	88,88.58
ग-8	राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान /अन्य अन्तरण	22,75.93	6,15.39
	<b>जोड़ -ग सहायता अनुदान एवं अंशदान</b>	<b>1,51,17.67</b>	<b>1,30,94.23</b>
	<b>जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)</b>	<b>3,09,50.32* **</b>	<b>2,73,67.06</b>

\* पृष्ठ संख्या 4\* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखें।

\*\* इनमें ₹6,11.38 करोड़ वर्ष 2018-19 में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की राशि सम्मिलित है।

\*\*\* पृष्ठ संख्या 4\* (खण्ड-I) में पाद टिप्पणी देखें।

## 3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

III -पूंजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक		
		2018-19	2017-18	
घ	पूंजीगत प्राप्तियां			
	विनिवेश प्राप्तियाँ	...	...	
	अन्य	8.82	34.82	
	<b>जोड़ घ पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>8.82</b>	<b>34.82</b>	
ड.	लोक ऋण			
	आन्तरिक ऋण प्राप्तियां	<b>63,59.99</b>	<b>55,18.40</b>	
		बाजार ऋण	42,10.00	46,00.00
		भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम <sup>1</sup>	14,95.93	4,00.14
		बांड	...	..
		वित्तीय संस्थानों से ऋण	6,54.06	5,18.26
		राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	...	..
		अन्य ऋण	...	..
		<b>केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम</b>	<b>67.41</b>	<b>81.89</b>
		आयोजनेतर ऋण	0.04	0.02
		राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	67.37	81.87
		केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	...	...
		केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए ऋण	...	...
		अन्य ऋण	...	...
		<b>जोड़ ड.-लोक ऋण</b>	<b>64,27.40</b>	<b>56,00.29</b>
	च	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलियां)*	<b>21.83</b>	<b>39.61</b>
		छ	अन्तर्राज्यीय समाधान	...
	<b>समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)</b>		<b>3,74,08.37 **</b>	<b>3,30,41.78</b>

\*विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 18 खण्ड-II देखें।

\*\* विवरण के लिए \* पाद टिप्पणी पृष्ठ संख्या-4 (खण्ड-1) देखें।

1 डब्ल्यू.एम.ए: अर्थोपाय अग्रिम

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
क	सामान्य सेवाएं				
क.1	राज्य के अंग	<b>3,06.56</b>	...	...	<b>3,06.56</b>
	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	38.84	...	...	38.84
	राष्ट्रपति उप-राष्ट्रपति /राज्यपाल/ संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	8.15	...	...	8.15
	मन्त्री परिषद	17.08	...	...	17.08
	न्याय प्रशासन	1,97.62	...	...	1,97.62
	निर्वाचन	44.87	...	...	44.87
क.2	राजकोषीय सेवाएं	<b>2,58.66</b>	...	...	<b>2,58.66</b>
	भू-राजस्व	1,83.38	...	...	1,83.38
	स्टाम्प और पंजीकरण	9.47	...	...	9.47
	राज्य उत्पाद शुल्क	5.67	...	...	5.67
	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	1.62	...	...	1.62
	वाहनों पर कर	2.59	...	...	2.59
	राज्यों के माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	1.29	...	...	1.29
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	53.44	...	...	53.44
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.20	...	...	1.20
क.3	ब्याज भुगतान	<b>40,21.52</b>	...	...	<b>40,21.52</b>
	ब्याज अदायगियां	40,21.52	...	...	40,21.52
क.4	प्रशासनिक सेवाएं	<b>18,48.60</b>	<b>2,27.13</b>	...	<b>20,75.73</b>
	लोक सेवा आयोग	21.85	...	...	21.85
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	79.75	...	...	79.75
	जिला प्रशासन	1,97.13	...	...	1,97.13
	कोषागार और लेखा प्रशासन	48.35	...	...	48.35
	पुलिस	10,92.57	65.67	...	11,58.24
	जेल	32.52	...	...	32.52
	आपूर्ति और निपटान	1.46	...	...	1.46
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	29.04	0.41	...	29.45
	लोक निर्माण कार्य	2,15.49	1,39.06	...	3,54.55
	सतर्कता	29.04	...	...	29.04
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,01.40	21.99	...	1,23.39
क.5	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं	<b>50,02.99</b>	...	...	<b>50,02.99</b>
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	49,74.77	...	...	49,74.77
	विविध सामान्य सेवाएं	28.22	...	...	28.22
	जोड़-सामान्य सेवाएं	<b>1,14,38.33</b>	<b>2,27.13</b>	...	<b>1,16,65.46</b>
ख	सामाजिक सेवाएं-				
ख.1	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति	<b>58,70.83</b>	<b>3,26.90</b>	<b>2.00</b>	<b>61,99.73</b>
	सामान्य शिक्षा	56,91.76	3,26.90	2.00	60,20.66
	तकनीकी शिक्षा	60.41	...	...	60.41
	क्रीड़ा और युवा सेवाएं	22.54	...	...	22.54
	कला और संस्कृति	96.12	...	...	96.12
ख.2	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	<b>18,92.28</b>	<b>3,45.61</b>	...	<b>22,37.89</b>
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	15,29.35	3,45.61	...	18,74.96
	परिवार कल्याण	3,62.93	...	...	3,62.93



## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ख	सामाजिक सेवाएं- समाप्त				
ख.3	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	17,16.98	4,92.37	...	22,09.35
	जलापूर्ति, स्वच्छता	11,41.35	4,17.68	...	15,59.03
	आवास	1,03.31	73.47	...	1,76.78
	शहरी विकास	4,72.32	1.21	...	4,73.53
ख.4	सूचना तथा प्रसारण	52.30	0.49	...	52.79
	सूचना तथा प्रचार	52.30	0.49	...	52.79
ख.5	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	51.66	10.15	...	61.81
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	51.66	10.15	...	61.81
ख.6	श्रम और श्रम कल्याण	2,39.83	...	...	2,39.83
	श्रम और रोजगार	2,39.83	...	...	2,39.83
ख.7	सामाजिक कल्याण और पोषण	16,31.27	9.71	...	16,40.98
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	10,48.37	9.71	...	10,58.08
	पोषण	77.31	...	...	77.31
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	5,05.59	...	...	5,05.59
ख.8	अन्य	27.05	2.00	...	29.05
	अन्य सामाजिक सेवाएं	3.72	2.00	...	5.72
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	23.33	...	...	23.33
	जोड़-सामाजिक सेवाएं	1,14,82.20	11,87.22	2.00	1,26,71.42
ग.	आर्थिक सेवाएं				
ग.1	कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	21,85.21	74.45	38.35	22,98.01
	फसल कृषि-कर्म	6,44.84	8.76	10.00	6,63.60
	मृदा तथा जल संरक्षण	66.33	34.92	...	1,01.25
	पशुपालन	3,58.10	12.62	...	3,70.72
	डेयरी विकास	31.07	...	...	31.07
	मत्स्य पालन	23.07	3.65	...	26.72
	वानिकी और वन्य प्राणी	4,40.06	11.17	...	4,51.23
	पौधारोपण	1.31	...	...	1.31
	खाद्य भण्डारण और भाण्डागार	3,40.14	3.17	...	3,43.31
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2,20.12	...	...	2,20.12
	सहकारिता	47.89	0.16	28.35	76.40
	अन्य कृषि कार्यक्रम	12.28	...	...	12.28
ग.2	ग्रामीण विकास	11,76.89	16.02	...	11,92.91
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	84.88	...	...	84.88
	ग्रामीण रोजगार	3,35.48	...	...	3,35.48
	भूमि सुधार	4.90	...	...	4.90
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7,51.63	16.02	...	7,67.65
ग.3	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण	4,20.78	4,64.64	...	8,85.42
	मुख्य सिंचाई	9.45	...	...	9.45
	मध्यम सिंचाई	12.60	59.00	...	71.60

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग. आर्थिक सेवाएं समाप्त				
ग.3 सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण				
लघु सिंचाई	3,79.69	2,26.60	...	6,06.29
कमाण्ड क्षेत्र विकास	...	42.02	...	42.02
बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	19.04	1,37.02	...	1,56.06
ग.4 ऊर्जा	<b>5,83.88</b>	<b>2,50.00</b>	<b>4,15.93</b>	<b>12,49.81</b>
बिजली	5,79.19	2,50.00	4,15.93	12,45.12
नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा	4.69	...	...	4.69
ग.5 उद्योग और खनिज	<b>1,14.88</b>	<b>46.43</b>	<b>4.10</b>	<b>1,65.41</b>
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	96.54	46.43	...	1,42.97
उद्योग	8.93	...	...	8.93
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	9.41	...	...	9.41
उद्योग और खनिज पर अन्य परिव्यय	...	...	4.10	4.10
ग.6 परिवहन	<b>18,30.01</b>	<b>20,84.70</b>	...	<b>39,14.71</b>
रेलवे को ऋण	...	60.00	...	60.00
नागरिक विमानन	0.54	3.12	...	3.66
सड़कें और पुल	15,13.09	19,40.98	...	34,54.07
सड़क परिवहन	3,16.32	80.60	...	3,96.92
अन्तर्देशीय जल परिवहन	0.06	...	...	0.06
ग.7 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	<b>13.33</b>	...	...	<b>13.33</b>
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.23	...	...	12.23
परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण	1.10	...	...	1.10
ग.8 सामान्य आर्थिक सेवाएं	<b>1,87.21</b>	<b>2,32.83</b>	...	<b>4,20.04</b>
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	45.01	...	...	45.01
पर्यटन	1,16.45	53.86	...	1,70.31
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	11.31	...	...	11.31
नागरिक आपूर्ति	12.21	...	...	12.21
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2.23	1,78.97	...	1,81.20
जोड़ - ग आर्थिक सेवाएं	<b>65,12.19</b>	<b>31,69.06</b>	<b>4,58.38</b>	<b>1,01,39.63</b>
घ. ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान				
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	9.39	...	...	9.39
जोड़-ऋण, सहायता अनुदान और अंशदान	<b>9.39</b>	...	...	<b>9.39</b>
ड. सरकारी कर्मचारियों को ऋण				
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण-	...	...	7.60	7.60
जोड़-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	...	...	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>
च. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	...	45,88.28	45,88.28
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	...	...	85.07	85.07
जोड़-लोक ऋण	...	...	<b>46,73.35</b>	<b>46,73.35</b>
जोड़-समेकित निधि व्यय	<b>2,94,42.11</b>	<b>45,83.11</b>	<b>51,41.33</b>	<b>3,91,66.85</b>

## 4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का विवरण	2018-19			2017-18			2016-17		
	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
वेतन	1,09,55.94	...	1,09,55.94	1,05,19.04	...	1,05,19.04	93,56.07	...	93,56.07
पेंशन	49,74.77	...	49,74.77	47,08.85	...	47,08.85	41,14.17	...	41,14.17
ब्याज	40,21.52	...	40,21.52	37,88.22	...	37,88.22	33,58.91	...	33,58.91
मुद्रमत्त	21,24.12	...	21,24.12	20,54.77	...	20,54.77	17,82.76	...	17,82.76
अन्य प्रभार	16,34.92	...	16,34.92	11,62.65	...	11,62.65	7,98.17	...	7,98.17
सहायता अनुदान (गैर वेतन)	15,95.55	0.49	15,96.04	10,09.61	0.49	10,10.10	13,81.55	0.49	13,82.04
उच्चत	13,83.35	...	13,83.35	12,24.50	...	12,24.50	13,48.00	...	13,48.00
उपदान	12,82.60	...	12,82.60	9,06.79	...	9,06.79	7,63.96	...	7,63.96
सहायता अनुदान	12,03.69*	...	12,03.69	12,12.51	...	12,12.51	10,00.81	...	10,00.81
पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान	8,34.23	...	8,34.23	6,72.48	0.36	6,72.84	9,72.29	1.84	9,74.13
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	5,92.51	...	5,92.51	4,40.99	...	4,40.99	3,51.56	...	3,51.56
उर्जा प्रभार	4,48.34	...	4,48.34	5,99.85	...	5,99.85	6,73.27	...	6,73.27
सामग्री एवं आपूर्ति	3,56.34	51.97	4,08.31	3,38.62	50.38	3,89.00	3,35.38	45.51	3,80.89
मजदूरी	2,54.48	...	2,54.48	2,46.79	...	2,46.79	3,25.60	...	3,25.60
मानदेय	2,13.29	...	2,13.29	1,91.60	...	1,91.60	1,45.04	...	1,45.04
कार्यालय व्यय	1,58.39	...	1,58.39	1,97.66	...	1,97.66	1,55.37	...	1,55.37
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,48.82	...	1,48.82	1,53.41	...	1,53.41	1,38.54	...	1,38.54
छात्रवृत्ति, वजीफा एवं सियायत	1,27.58	...	1,27.58	1,86.38	..	1,86.38	81.42	...	81.42
मुआवजा	...	1,00.14	1,00.14	..	87.72	87.72	4,56.81	88.47	5,45.28
लघु कार्य	72.62	...	72.62	84.10	...	84.10	67.29	...	67.29
मोटर वाहन	46.90	...	46.90	51.77	...	51.77	39.99	...	39.99
आरुत्त सोर्स कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक	46.12	...	46.12	29.11	...	29.11	17.48	...	17.48
यात्रा व्यय	40.96	...	40.96	42.80	...	42.80	43.12	...	43.12
विज्ञापन एवं प्रचार	40.45	...	40.45	35.54	...	35.54	33.25	...	33.25
मशीनरी व उपस्कर	32.77	1,81.05	2,13.82	53.41	...	53.41	44.87	...	44.87
अन्य	28.75	2.07	30.82	24.63	9.91	34.54	19.25	8.82	28.07
किराया, कर एवं उपकर	28.18	...	28.18	29.50	...	29.50	24.61	...	24.61
व्यवसायिक तथा विशेष सेवाएँ	21.05	...	21.05	21.57	...	21.57	21.18	...	21.18
भूमि	18.90	...	18.90	17.35	...	17.35	16.54	...	16.54
ब्याज पर उपदान	...	...	...	...	...	...	55.76	...	55.76
मुख्य कार्य	...	39,87.95	39,87.95	...	34,13.82	34,13.82	...	31,51.77	31,51.77
निवेश	...	3,17.87	3,17.87	...	2,41.55	2,41.55	...	2,55.12	2,55.12
सकल राशि	3,26,87.14	46,40.62	3,73,27.76	3,00,04.50	38,04.23	3,38,08.73	2,79,23.02	35,52.02	3,14,75.04
घटाएँ-वसूली	32,45.03	57.21	33,02.24	29,51.34	48.56	29,99.90	25,78.80	52.99	26,31.79
<b>जोड़</b>	<b>2,94,42.11</b>	<b>45,83.41</b>	<b>3,40,25.52</b>	<b>2,70,53.16</b>	<b>37,55.67</b>	<b>3,08,08.83</b>	<b>2,53,44.22</b>	<b>34,99.03</b>	<b>2,88,43.25</b>

\*इनमें ₹ 9.39 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (मुख्य शीर्ष-3604) को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन सम्मिलित है।

टिप्पणी:- कुल सहायता अनुदान ₹36,33.95 करोड़, {सहायता अनुदान ₹ 12,03.69 करोड़ + सहायता अनुदान ₹ 15,95.55 करोड़ (गैर वेतन) + पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान ₹ 8,34.23 करोड़ राजस्व संवितरण}+(₹0.49 करोड़,सहायता अनुदान गैर वेतन पूंजीगत सम्पत्ति ) }

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
क.	सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					(₹ करोड़ में)
4055-	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	45.40	3,23.62	65.67	3,89.29	(+)44.62
4058-	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.70	0.41	4.11	...
4059-	लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	1,33.83	10,81.07	1,39.06	12,20.13	(+)3.92
4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	12.55	45.40	21.99	67.39	(+)75.22
	<b>जोड़-क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा</b>	<b>1,91.78</b>	<b>14,53.79</b>	<b>2,27.13</b>	<b>16,80.92</b>	<b>(+)18.44</b>
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ङ, छ, ज)					
(क)	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा					
4202-	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3,41.56	28,17.82	3,26.90	31,44.72	(-)4.29
	<b>जोड़- ख (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा</b>	<b>3,41.56</b>	<b>28,17.82</b>	<b>3,26.90</b>	<b>31,44.72</b>	<b>(-)4.29</b>
(ख)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-					
4210-	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,62.86	15,42.48	3,45.61	18,88.09	(+)31.48
4211-	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	...
	<b>जोड़-ख (ख)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>2,62.86</b>	<b>15,75.70</b>	<b>3,45.61</b>	<b>19,21.31</b>	<b>(+)31.48</b>
(ग)	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-					
4215-	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4,61.58	54,70.43	4,17.69	58,88.12	(-)9.51
4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	53.58	8,80.55	73.47	9,54.02	(+)37.12
4217-	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1.27	97.91	1.21	99.12	(-)4.72
	<b>जोड़- ख (ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>5,16.43</b>	<b>64,48.89</b>	<b>4,92.37</b>	<b>69,41.26</b>	<b>(-)4.66</b>
(घ)	सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-					
4220-	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	8.76	0.49	9.25	(+)2,06.25
	<b>जोड़- ख (घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>0.16</b>	<b>8.76</b>	<b>0.49</b>	<b>9.25</b>	<b>(+)2,06.25</b>

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
						(₹ करोड़ में)
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ङ, छ, ज)समाप्त					
(ङ)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-					
4225-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5.29	1,89.84	10.15	1,99.99	(+)91.87
	<b>जोड़- ख (ङ.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>5.29</b>	<b>1,89.84</b>	<b>10.15</b>	<b>1,99.99</b>	<b>(+)91.87</b>
(छ)	सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-					
4235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7.92	1,07.03	9.70	1,16.73	(+)22.47
	<b>जोड़- ख (छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>7.92</b>	<b>1,07.03</b>	<b>9.70</b>	<b>1,16.73</b>	<b>(+)22.47</b>
(ज)	अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
4250-	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.75	9.17	2.00	11.17	(+)1,66.67
	<b>जोड़- ख (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>0.75</b>	<b>9.17</b>	<b>2.00</b>	<b>11.17</b>	<b>(+)1,66.67</b>
	<b>जोड़-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>11,34.96</b>	<b>1,11,57.20</b>	<b>11,87.22</b>	<b>1,23,44.42</b>	<b>(+)4.60</b>
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ङ, च, छ, ज)					
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा					
4401-	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	12.86	88.41	8.76	97.17	(-)31.88
4402-	भू तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	26.70	4,07.23	34.92	4,42.13	(+)30.79
4403-	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.13	1,02.65	12.62	1,15.27	(+)77.00
4404-	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.38	...	5.38	...
4405-	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	2.44	37.36	3.65	41.01	(+)49.59
4406-	वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	7.41	1,36.59	11.17	1,47.76	(+)50.74
4408-	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	3.14	32.65	3.17	35.82	(+)0.96
4415-	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.42	...	3.42	...
4416-	कृषि वित्तीय संस्थान पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.49	...	9.49	...

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
(₹ करोड़ में)						
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ङ, च, छ, ज)-क्रमशः					
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा-समाप्त					
4425-	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.15	78.01	0.16	78.17	(+)6.67
4435-	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.21	...	2.21	...
	<b>जोड़-ग (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा</b>	<b>59.83</b>	<b>9,03.40</b>	<b>74.45</b>	<b>9,77.85</b>	<b>(+)24.44</b>
(ख)	ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा					
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2.26	26.68	16.01	42.69	(+)6,08.41
	<b>जोड़-ग (ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा</b>	<b>2.26</b>	<b>26.68</b>	<b>16.01</b>	<b>42.69</b>	<b>(+)6,08.41</b>
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा					
4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.56	2,73.75	...	2,73.75	(-)1,00.00
4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7.89	5,13.20	59.00	5,72.20	(+)6,47.78
4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,65.56	18,74.01	2,26.60	21,00.61	(+)36.87
4705-	कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	32.17	1,99.83	42.01	2,41.84	(+)30.55
4711-	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	45.29	9,86.11	1,37.02	11,23.13	(+)2,02.61
	<b>जोड़-ग (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा</b>	<b>2,51.47</b>	<b>38,46.90</b>	<b>4,64.63</b>	<b>43,11.53</b>	<b>(+)84.77</b>
(ङ.)	ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-					
4801-	विद्युत परियोजनाएं पर पूंजीगत परिव्यय	1,87.11	26,22.39	2,50.00	28,72.39	(+)33.61
	<b>जोड़-ग (ङ.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा</b>	<b>1,87.11</b>	<b>26,22.39</b>	<b>2,50.00</b>	<b>28,72.39</b>	<b>(+)33.61</b>
(च.)	उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा					
4851-	ग्रामीण तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	72.83	3,92.24	46.43	4,38.67	(-)36.25
4853-	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.12	...	0.12	...
4858-	अभयंत्रिकी उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.87	...	3.87	...
4859-	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.97	...	2.97	...
4885-	उद्योगों तथा खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	...	70.34	...	70.34	...
	<b>जोड़-ग (च) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा</b>	<b>72.83</b>	<b>4,69.54</b>	<b>46.43</b>	<b>5,15.97</b>	<b>(-)36.25</b>

## 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2017-18 के दौरान व्यय	2017-18 तक प्रगामी व्यय	2018-19 के दौरान व्यय	2018-19 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
ग.	आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ङ, च, छ, ज)-समाप्त					(₹ करोड़ में)
(छ)	परिवहन का पूंजीगत लेखा					
5002-	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइने पर पूंजीगत परिव्यय	86.02	1,55.02	60.00	2,15.02	(-)30.25
5053-	नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	3.85	91.44	3.13	94.57	(-)18.70
5054-	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय	15,31.75	1,16,88.41	19,40.98	1,36,29.39	(+)26.72
5055-	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	72.85	8,48.37	80.60	9,28.97	(+)10.64
5056-	अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.18	...	0.18	...
	<b>जोड़-ग (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा</b>	<b>16,94.47</b>	<b>1,27,83.42</b>	<b>20,84.71</b>	<b>1,48,68.13</b>	<b>(+)23.03</b>
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-					
5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	2.64	94.84	53.86	1,48.70	(+)19,40.15
5465-	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.29	...	3.29	...
5475-	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय	1,58.32	10,02.12	1,78.97	11,81.09	(+)13.04
	<b>जोड़-ग(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>1,60.96</b>	<b>11,00.25</b>	<b>2,32.83</b>	<b>13,33.08</b>	<b>(+)44.64</b>
	<b>जोड़-ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-</b>	<b>24,28.93</b>	<b>2,17,52.58</b>	<b>31,69.06</b>	<b>2,49,21.64</b>	<b>(+)30.47</b>
	<b>सकल योग</b>	<b>37,55.67</b>	<b>3,43,63.57</b>	<b>45,83.41</b>	<b>3,89,46.98</b>	<b>(+)22.04</b>

## व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सरकार ने वर्ष में 2018-19 सांविधिक निगमों/बोर्डों में ₹ 1,13.48 करोड़ सरकार तथा अन्य कम्पनियों में ₹ 2,03.98 करोड़ तथा अन्य सहकारी समितियों में ₹ 0.41 करोड़ का निवेश किया।

वर्ष के दौरान सहकारी बैंक के द्वारा ₹0.12 करोड़ सहकारी समितियों के द्वारा ₹ 1.89 करोड़ की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया तथा ₹0.03 करोड़ पिछले वर्ष की समाधान राशि को इस वर्ष जमा किया और ₹ 0.02 कम किया गया ।

वर्ष ,2016-17,2017-18 और 2018-19 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹32,93.53 करोड़, ₹35,32.97 करोड़, तथा ₹ 38,48.83 करोड़, था। उन परवर्ष ,2016-17,2017-18 और 2018-19 के अन्त तक क्रमशः ₹2,89.63 करोड़, ₹ 2,55.58 करोड़, तथा ₹1,81.91 करोड़ लाभांश प्राप्त किया।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी<sup>1</sup>

## (i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्रतिशतता कुल दायित्व
					राशि	प्रतिशत	
(₹ करोड़ में)							
<b>क. लोक ऋण</b>							
<b>6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण</b>							
बाजार ऋण	2,15,74.06	42,10.00	21,01.90	2,36,82.16	(+)21,08.10	(+)9.77	43.61
मुआवजा तथा अन्य बॉण्ड	28,90.50	...	...	28,90.50	...	...	5.33
वित्तीय संस्थानों से ऋण	24,91.61	6,54.06	4,52.20	26,93.47	(+)2,01.86	(+)8.10	4.96
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	66,35.31	...	5,38.25	60,97.06	(-)5,38.25	(-)8.11	11.23
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	14,95.93	14,95.93	...	...	...	...
<b>जोड़-6003</b>	<b>3,35,91.48</b>	<b>63,59.99</b>	<b>45,88.28</b>	<b>3,53,63.19</b>	<b>(+)17,71.71</b>	<b>(+)5.27</b>	<b>65.12</b>
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम</b>							
<b>01-आयोजनेतर ऋण</b>							
201-गृह निर्माण अग्रिम	0.27	0.04	0.08	0.23	(-)0.04	(-)14.81	...
800-अन्य ऋण	3.42	...	0.43	2.99	(-)0.43	(-)12.57	0.01
<b>जोड़-01</b>	<b>3.69</b>	<b>0.04</b>	<b>0.51</b>	<b>3.22</b>	<b>(-)0.47</b>	<b>(-)12.74</b>	<b>0.01</b>
<b>02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण</b>							
101- ब्लाक ऋण	7,92.30	67.93	39.26	8,20.97	(+)28.67	(+)3.62	1.51
105- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	2,83.30	(-)0.55*	45.29	2,37.46	(-)45.84	(-)16.18	0.44
<b>जोड़-02</b>	<b>10,75.60</b>	<b>67.38</b>	<b>84.55</b>	<b>10,58.43</b>	<b>(-)17.17</b>	<b>(-)1.60</b>	<b>1.95</b>

<sup>1</sup>विस्तृत लेखे के लिए पृष्ठ 149 से 151 (खण्ड- II) देखें।

\*13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ऋण माफी/छूट



## 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

## (i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

उधार का स्वरूप	(₹ करोड़ में)						प्रतिशतता कुल दायित्व
	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशत	
<b>क. लोक ऋण-समाप्त</b>							
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम-समाप्त</b>							
<b>07-1984-85 से पूर्वकालिक ऋण</b>							
102-राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम	0.13	...	...	0.13	...	...	...
<b>जोड़-07</b>	<b>0.13</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0.13</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>जोड़-6004</b>	<b>10,79.42</b>	<b>67.42</b>	<b>85.06</b>	<b>10,61.78</b>	<b>(-)17.64</b>	<b>(-)1.63</b>	<b>1.96</b>
<b>जोड़-क लोक ऋण</b>	<b>3,46,70.90</b>	<b>64,27.41</b>	<b>46,73.34</b>	<b>3,64,24.97</b>	<b>(+)17,54.07</b>	<b>(+)5.06</b>	<b>67.08</b>
<b>ख-अन्य दायित्व</b>							
<b>लोक लेखा</b>							
लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	1,32,36.38	37,53.46	26,40.31	1,43,49.53	(+)11,13.15	(+)8.41	26.43
सब्याज आरक्षित निधियां	8.48	2,73.05	2,80.53	1.00	(-)7.48	(-)88.21	...
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	3,16.53	2,27.29	2,27.24	3,16.58	(+)0.05	(+)0.02	0.58
सब्याज जमा राशियां	(-)0.88	5,24.91	5,25.43	(-)1.40	(-)0.52	(+)59.09	...
ब्याज रहित जमा राशियां	27,99.09	29,93.87	25,84.43	32,08.53	(+)4,09.44	(+)14.63	5.91
<b>जोड़-ख-अन्य दायित्व</b>	<b>1,63,59.60</b>	<b>77,72.58</b>	<b>62,57.94</b>	<b>1,78,74.24</b>	<b>(+)15,14.64</b>	<b>(+)9.26</b>	<b>32.92</b>
<b>जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व</b>	<b>5,10,30.50</b>	<b>1,41,99.99</b>	<b>1,09,31.28</b>	<b>5,42,99.21</b>	<b>(+)32,68.71</b>	<b>(+)6.41</b>	<b>100.00</b>

## 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

### व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्ध:- खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध नहीं किए गए हैं-

2. लघु/बचत निधि से ऋण:- लघु बचत योजना तथा डाकघरों में 'लोक भविष्य निधि', एकत्रित राशि में प्राप्त ऋण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 3:1 अनुपात में सांझा किया जाता है। 1999-2000 में एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' का 'लघु बचत संचित' राशि में से ऋण जारी करने हेतु एक अलग निधि जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि का सृजन किया गया। 2018-19 में ₹ 5,38.25 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹60,97.06 करोड़ जो 31 मार्च, 2019 तक राज्य सरकार की कुल लोक ऋण का 17.24 प्रतिशत था ।

3. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि

(क) बाजार ऋण:- खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 9 ऋण ₹ 7,00.00 करोड़, ₹ 8,00.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़, ₹ 5,00.00 करोड़, ₹ 3,00.00 करोड़, ₹ 2,10.00 करोड़ तथा ₹ 2,00.00 करोड़ क्रमशः 8.26 प्रतिशत, 8.18 प्रतिशत, 8.77 प्रतिशत, 8.56 प्रतिशत, 8.30 प्रतिशत, 8.43 प्रतिशत, 7.52 प्रतिशत, 7.55 प्रतिशत तथा 8.73 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण मई 2019, जून 2020, अक्तूबर 2028, नवम्बर 2028, जनवरी 2029, फरवरी 2029, फरवरी 2022, मार्च 2023 तथा मार्च 2022 में विमोच्य है।

11 दीर्घकालीन ऋण अर्थात् 7.97 प्रतिशत, 8.21 प्रतिशत, 8.82, प्रतिशत, 8.74, प्रतिशत, 9.30 प्रतिशत, 6.10 प्रतिशत, 7.09 प्रतिशत, 7.24 प्रतिशत, 7.40 प्रतिशत, 8.40 प्रतिशत, तथा 8.43 प्रतिशत की दर से ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़, ₹ 1,12.00 करोड़, ₹ 1,03.00 करोड़ ₹ 86,90.00 करोड़, ₹ 2,00.00 करोड़ ₹ 3,00.00 करोड़ ₹ 1,00.00 करोड़ ₹ 1,00.00 करोड़ ₹ 2,00.00 करोड़ तथा ₹ 5,00.00 करोड़ वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण:- ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुरूप लौटाये जाते हैं। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹16.37 करोड़ की राशि लौटा दी गई थी।

(ग) भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण:- ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तों के अनुसार लौटाये जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 0.15 करोड़ चुकाए गए ।

(घ) कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋण:- ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹6,25.76 करोड़ की राशि ली गई थी, तथा ₹3,91.10 करोड़ वापिस किए गए ।

(ङ.) मुआवजा और अन्य बॉन्ड:- वर्ष के दौरान ₹28,90.50 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), हिमाचल प्रदेश विशेष बॉन्ड के तहत प्राप्त की गई।

(च) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण:- ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 28.30 करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष के दौरान ₹17.24 करोड़ वापिस किए गए ।

(छ) अन्य संस्थानों से ऋण:- ये ऋण विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा जैसे कि न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, आरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी, युनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी, नैशनल इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया, नगर निगम ऋण, हाउसिंग अर्बन डेवेलोपमेंट कॉरपोरेशन, हि0 प्रदेश वन निगम तथा भारतीय जीवन बीमा से ऋण (निगोशिएटेड) आदि दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान ₹ 27.34 करोड़ लौटाए गए ।

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम:- रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद शेषों जैसे ₹ 0.55 करोड़ में कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम लिए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹14,95.93 करोड़ की राशि ली गई तथा ₹14,95.93 करोड़ वापिस किए गए।

## 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

## व्याख्यात्मक टिप्पणियां

## 4. ऋण का उपयोग:-

ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याज:- वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवल राशि निम्नलिखित थी:-

	2018-19	2017-18	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी(-)
	(₹ करोड़ में)		
<b>(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व</b>			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	5,07,74.50	4,79,07.28	(+)28,67.22
(ख) अन्य दायित्व	35,24.71	31,23.22	(+)4,01.49
<b>जोड़ (i)</b>	<b>5,42,99.21</b>	<b>5,10,30.50</b>	<b>(+)32,68.71</b>
<b>(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज</b>			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	40,21.52	37,88.22	(+)2,33.30
(ख) अन्य दायित्व पर	...	..	...
<b>जोड़ (ii)</b>	<b>40,21.52</b>	<b>37,88.22</b>	<b>(+)2,33.30</b>
<b>(iii) घटाये</b>			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	39.77	24.38	(+)15.39
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	66.90	81.13	(-)14.23
<b>जोड़ (iii)</b>	<b>1,06.67</b>	<b>1,05.51</b>	<b>(+)1.16</b>
<b>(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल</b>	<b>39,14.85</b>	<b>36,82.71</b>	<b>(+)2,22.14</b>
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	12.99	13.84	(-)0.85
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	12.65	13.45	(-)0.80

टिप्पणी:- सरकार ने वर्ष के दौरान लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से ₹ 1,81.92 करोड़ लाभांश के रूप में प्राप्त किए। (मुख्य शीर्ष-0050 पृष्ठ 67 खण्ड- II) देखें।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी  
भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सार: उधारग्रहीता समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋण समूह	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2019के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	7.57	...	...	...	7.57	...	*
शहरी विकास प्राधिकरण	0.01	...	...	...	0.01	...	*
आवासीय बोर्ड	1.16	...	...	...	1.16	...	*
सांविधिक निगम	52,59.22	3,72.83	...	...	56,32.05	(+)3,72.83	*
सहकारी समितियां/ सहकारी बैंक	99.50	28.35	13.21	...	1,14.64	(+)15.14	*
पंचायती राज संस्थाएं	0.33	...	0.01	...	0.32	(-)0.01	*
सरकारी कर्मचारी	33.54	7.60	8.07	...	33.07	(-)0.47	*
अन्य	11,05.85	59.20	0.54	...	11,64.51	(+)58.66	*
<b>जोड़-</b>	<b>65,07.18</b>	<b>4,67.98</b>	<b>21.83</b>	...	<b>69,53.33</b>	<b>4,46.15</b>	*

शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण निम्नलिखित मामले हैं।

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2011-12	एचटीसी-एफ(11)3/2011	7.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2012-13	एचटीसी-एफ(1) 3/2010(खण्ड -II)	5.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2017-18	एचटीसी-एफ(11) 1/2013	8.00	ब्याज रहित

\*उपलब्ध नहीं है

टिप्पणियां: ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें ( पृष्ठ संख्या 161 से 164 खण्ड-II देखें)

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी  
भाग-2 ऋण एवं अग्रिम का सारांश: क्षेत्रवार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2019 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2018-19 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (2-6)	बकाया ब्याज अदायगी
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	26.53	2.00	0.52	...	28.01	(+)1.48	*
आर्थिक सेवाएं	64,46.09	4,58.38	13.24	...	68,91.23	(+)4,45.14	*
अन्य सेवाएं	34.56	7.60	8.07	...	34.09	(-)0.47	*
<b>जोड़-</b>	<b>65,07.18</b>	<b>4,67.98</b>	<b>21.83</b>	...	<b>69,53.33</b>	<b>(+)4,46.15</b>	<b>*</b>

## भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

ऋणी संस्था	31 मार्च 2019 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिसमें बकाया सम्बन्धित है	31 मार्च 2019 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम	0.57	...	0.57	2001-02	7.57
आवासीय बोर्ड	1.16	...	1.16	2009-10	1.16
हिमाचल प्रदेश उद्यान उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	14.54	...	14.54	2015-16	50.09
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.61	...	5.61	1987-88	5.61
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि०	74.75	...	74.75	1987-88	29,70.93
सामान्य वित्तीय संस्थाएँ	0.10	...	0.10	1985-86	0.10
<b>जोड़-</b>	<b>96.73</b>		<b>96.73</b>		<b>30,35.46</b>

\*उपलब्ध नहीं है

## 8. सरकार के निवेशों की विवरणी

भाग-1: विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान सरकार के निवेश प्रतिदेय शेयर एवं ऋणपत्र का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

	प्रतिष्ठान का नाम	2018-19			2017-18		
		प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
1	सांविधिक निगम/बोर्ड	6	16,03.56	...	6	14,47.38	...
2	सरकारी कम्पनियां	21	10,81.74	1.90	21	9,20.46	1.89
3	अन्य सयुक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i)	केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	10,98.14	1,79.35	1	10,98.14	2,53.21
(ii)	अन्य कम्पनियां	13	0.10	0.01	13	0.10	0.01
	<b>जोड़- सयुक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार</b>	<b>14</b>	<b>10,98.24</b>	<b>1,79.36</b>	<b>14</b>	<b>10,98.24</b>	<b>2,53.22</b>
4	सहकारी बैंक	9	13.44	0.07	9	13.57	0.07
5	सहकारी समितियां और स्थानीय निकाय						
(i)	सहकारी समितियां	17	51.85	0.58	17	53.32	0.41
	<b>जोड़-</b>	<b>67</b>	<b>38,48.83</b>	<b>1,81.91</b>	<b>67</b>	<b>35,32.97</b>	<b>2,55.58</b>

### 9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी

क. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण आदि की चुकौती के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2019 तक बकाया प्रत्याभूत राशियां नीचे दिखायी गयी है:-

(₹ करोड़ में)										
क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष 2018-19 के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष 2018-19 के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (1)*	43,54.00	37,15.50	...	25.00	...	...	36,90.50	...	...	...
सहकारी बैंक(1)*	3,25.00	2,80.02	68.31	60.04	...	...	2,88.29	...	...	...
राज्य वित्तीय निगम (1)*	95.25	9.00	...	3.20	...	...	5.80	...	...	...
स्थानीय निकाय (1)*	...	4.93	...	0.20	...	...	4.73	...	...	...
अन्य संस्थान (10) *	407.11	3,84.21	5.97	70.29	...	...	3,19.89	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>51,81.36</b>	<b>43,93.66</b>	<b>74.28</b>	<b>1,58.73</b>	...	...	<b>43,09.21</b>	...	...	...

\* कोष्ठकों के आंकड़े संस्थानों की संख्या दर्शाते हैं।

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2018-19			2017-18			2018-19			2017-18		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़

(₹ करोड़ में)

1. पंचायती राज संस्थाएँ-												
(i) जिला परिषद	1,15.14	...	1,15.14	91.05	...	91.05	29	...	29	14.50	...	14.50
(ii) पंचायत समीतियाँ	31.01	...	31.01	17.40	...	17.40	24	...	24	10.50	...	10.50
(iii) ग्राम पंचायतें	4,57.10	1,43.66	6,00.76	3,77.64	81.66	4,59.30	369.21	0.71	369.92	3,20.29	0.56	3,20.85
<b>जोड़-</b>	<b>6,03.25</b>	<b>1,43.66</b>	<b>7,46.91</b>	<b>4,86.09</b>	<b>81.66</b>	<b>5,67.75</b>	<b>4,22.21</b>	<b>0.71</b>	<b>4,22.92</b>	<b>3,45.29</b>	<b>0.56</b>	<b>3,45.85</b>
2. स्थानीय शहरी निकाय												
(i) नगर निगम	65.10	66.51	1,31.61	79.71	20.47	1,00.18	21.32	50.5	71.82	33.21	8.93	42.14
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	2,51.09	54.96	3,06.05	86.63	7.83	94.46	24.6	46.95	71.55	21.77	5.73	27.50
(iii) अन्य	9.38	41.48	50.86	18.30	44.84	63.14	...	...	...	2.00	0.05	2.05
<b>जोड़-</b>	<b>3,25.57</b>	<b>1,62.95</b>	<b>4,88.52</b>	<b>1,84.64</b>	<b>73.14</b>	<b>2,57.78</b>	<b>45.92</b>	<b>97.45</b>	<b>1,43.37</b>	<b>56.98</b>	<b>14.71</b>	<b>71.69</b>
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
(i) सरकारी कम्पनियाँ	19.11	...	19.11	1.07	0.40	1.47	...	...	...	...	0.40	0.40
(ii) सांविधिक निगम	1,52.89	12.40	1,65.29	1,56.71	5.83	1,62.54	5.00	7.28	12.28	9.00	1.00	10.00
<b>जोड़-</b>	<b>1,72.00</b>	<b>12.40</b>	<b>1,84.40</b>	<b>1,57.78</b>	<b>6.23</b>	<b>1,64.01</b>	<b>5.00</b>	<b>7.28</b>	<b>12.28</b>	<b>9.00</b>	<b>1.40</b>	<b>10.40</b>
4. स्वायत्त निकाय												
(i) विश्वविद्यालय	20	3,53.00	3,73.00	5.00	3,96.02	4,01.02	...	...	...	...	...	...
(ii) विकास प्राधिकरण	61.47	90.8	1,52.27	41.48	1,04.03	1,45.51	15.00	26.34	41.34	10.00	28.03	38.03
(iii) सहकारी संस्थान	19.29	24.36	43.65	5.45	27.21	32.66	...	0.89	0.89	...	1.15	1.15
(iv) अन्य	84.43	2,77.10	3,61.53	10.76	2,09.13	2,19.89	...	69.41	69.41	...	35.59	35.59
<b>जोड़-</b>	<b>1,85.19</b>	<b>7,45.26</b>	<b>9,30.45</b>	<b>62.69</b>	<b>7,36.39</b>	<b>7,99.08</b>	<b>15.00</b>	<b>96.64</b>	<b>1,11.64</b>	<b>10.00</b>	<b>64.77</b>	<b>74.77</b>



10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	कुल निधि से जारी किया गया सहायता अनुदान						कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान					
	2018-19			2017-18			2018-19			2017-18		
	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़	आयोजनेतर	योजनागत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम सहित	जोड़
												(₹ करोड़ में)
<b>5. शिक्षा</b>												
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	0.13	3,64.43	3,64.56	0.11	3,45.89	3,46.00	...	...	...	...	...	...
(ii) माध्यमिक शिक्षा	24.31	1,54.28	1,78.59	26.24	98.41	1,24.65	...	...	...	...	...	...
(iii) उच्च शिक्षा	0.91	17.5	18.41	1.41	20.15	21.56	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-</b>	<b>25.35</b>	<b>5,36.21</b>	<b>5,61.56</b>	<b>27.76</b>	<b>4,64.45</b>	<b>4,92.21</b>	...	...	...	...	...	...
<b>6. अन्य</b>												
(i) वन	...	15.19	15.19	...	5.99	5.99	...	0.10	0.10	...	0.07	0.07
(ii) सामाजिक कल्याण	25.69	45.19	70.88	29.09	77.88	1,06.97	...	3.18	3.18	...	4.16	4.16
(iii) विविध	33.12	6,02.92	6,36.04	17.22	4,84.48	5,01.66	1.61	1,39.13	1,40.74	...	1,65.91	1,65.91
<b>जोड़-</b>	<b>58.81</b>	<b>6,63.30</b>	<b>7,22.11</b>	<b>46.31</b>	<b>5,68.35</b>	<b>6,14.62</b>	<b>1.61</b>	<b>1,42.41</b>	<b>1,44.02</b>	...	<b>1,70.14</b>	<b>1,70.14</b>
<b>कुल जोड़-</b>	<b>13,70.19</b>	<b>22,63.18</b>	<b>36,33.95*</b>	<b>9,65.27</b>	<b>19,30.22</b>	<b>28,95.45</b>	<b>4,89.74</b>	<b>3,44.49</b>	<b>8,34.23**</b>	<b>4,21.27</b>	<b>2,51.58</b>	<b>6,72.84</b>

\* इनमें ₹ 9.39 करोड़ स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं की राशी (मुख्य शीर्ष 3604) एवं ₹ 0.49 करोड़ की सहायता अनुदान पूंजीगत व्यय शामिल है

\*\* ₹ 8,34.23 करोड़ की सहायता अनुदान जोकि पूंजीगत सम्पत्तियों के निर्माण हेतु (राजस्व व्यय ₹ 8,34.23 करोड़)

**10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी**

**(ii) वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान**

नाम/प्रतिभूती श्रेणी	वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य		पूँजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य	
	2		3	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
<b>1. पंचायती राज संस्थाएँ-</b>				
(i) जिला परिषद	...	...	...	...
(ii) पंचायत समीतियाँ	...	...	...	...
(iii) ग्राम पंचायतें	...	...	...	...
<b>2. स्थानीय शहरी निकाय</b>				
(i) नगर निगम	...	...	...	...
(ii) नगर पालिका/ नगर परिषद	...	...	...	...
(iii) अन्य	...	...	...	...
<b>3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>				
(i) सरकारी कम्पनियाँ	...	...	...	...
(ii) सांविधिक निगम	...	...	...	...
<b>4. स्वायत्त निकाय</b>				
(i) विश्वविद्यालय	...	...	...	...
(ii) विकास प्राधिकारण	...	...	...	...
(iii) सहकारी समीतियाँ	...	...	...	...
(iv) अन्य	...	...	...	...
<b>5. गैर सरकारी संगठन</b>	...	...	...	...
<b>जोड़-</b>	...	...	...	...

टिप्पणी:- वर्ष के दौरान कोई भी वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान नहीं दिया गया।

## 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2018-19			2017-18		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
	(₹ करोड़ में)					
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	41,64.65	2,52,77.46	2,94,42.11	38,47.91	2,32,05.25	2,70,53.16
व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	10.93	45,72.48	45,83.11	23.16	37,32.51	37,55.67
लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	46,73.35	4,67.98	51,41.33	34,99.85	5,02.53	40,02.38
<b>जोड़</b>	<b>88,48.93</b>	<b>3,03,17.92</b>	<b>3,91,66.85</b>	<b>73,70.92</b>	<b>2,74,40.29</b>	<b>3,48,11.21</b>
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं।						
<b>ड. लोक ऋण</b>						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	45,88.28	...	45,88.28	34,20.95	...	34,20.95
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	85.07	...	85.07	78.90	...	78.90
<b>च. ऋण और अग्रिम *</b>						
सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण	...	2.00	2.00	...	8.00	8.00
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	4,58.38	4,58.38	...	4,91.36	4,91.36
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	...	7.60	7.60	...	3.17	3.17
<b>छ. अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त</b>						
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त	...	...	...	...	...	...
<b>ज. आकस्मिक निधि को अन्तरण</b>						
आकस्मिक निधि को अन्तरण	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़ (क)</b>	<b>46,73.35</b>	<b>4,67.98</b>	<b>51,41.33</b>	<b>34,99.85</b>	<b>5,02.53</b>	<b>40,02.38</b>

(i) वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से सकल व्यय की प्रतिशतता निम्नलिखित थी।

वर्ष	सकल/कुल व्यय के प्रतिशतता	
	प्रभारित	दत्तमत
2017-18	21.17	78.83
2018-19	22.60	77.41

\* विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जागरूकी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			
<b>पूंजीगत तथा अन्य व्यय-</b>			
<b>सकल पूंजीगत व्यय</b>			
<b>सामान्य सेवायें</b>			
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3,23.61	65.67	3,89.28
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	3.70	0.41	4.11
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10,81.07	1,39.06	12,20.13
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	45.40	21.99	67.39
<b>जोड़-सामान्य सेवायें</b>	<b>14,53.78</b>	<b>2,27.13</b>	<b>16,80.91</b>
<b>सामाजिक सेवायें</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	28,18.05	3,26.90	31,44.95
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15,75.73	3,45.61	19,21.34
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	64,49.62	4,92.37	69,41.99
सूचना एवं प्रसार	8.76	0.49	9.25
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		10.14	1,99.96
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1,07.06	9.71	1,16.77
अन्य सामाजिक सेवायें	9.17	2.00	11.17
<b>जोड़-सामाजिक सेवायें</b>	<b>1,11,58.21</b>	<b>11,87.22</b>	<b>1,23,45.43</b>
<b>आर्थिक सेवायें</b>			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	20,27.20	1,31.66	21,58.86
ग्रामीण विकास	26.68	16.01	42.69
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	44,14.60	4,64.63	48,79.23
ऊर्जा	39,18.23	2,50.00	41,68.23
उद्योग तथा खनिज	4,69.70	46.43	5,16.13
परिवहन	1,28,54.21	20,84.70	1,49,38.91
सामान्य आर्थिक सेवायें	11,00.25	2,32.83	13,33.08
<b>जोड़-आर्थिक सेवायें</b>	<b>2,48,10.87</b>	<b>32,26.27</b>	<b>2,80,37.14</b>
<b>जोड़-सकल पूंजीगत परिव्यय</b>	<b>3,74,22.86</b>	<b>46,40.62</b>	<b>4,20,63.48</b>

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			
<b>पूँजीगत तथा अन्य व्यय-क्रमशः</b>			
<b>पूँजीगत परिव्यय की वसूलियां</b>			
<b>सामाजिक सेवार्यें</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.24	...	0.24
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	0.75	...	0.75
<b>जोड़-सामाजिक सेवार्यें</b>	<b>0.99</b>	<b>...</b>	<b>0.99</b>
<b>आर्थिक सेवार्यें</b>			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	11,23.81	57.21	11,81.02
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	5,67.69	...	5,67.69
उद्योग तथा खनिज	0.15	...	0.15
परिवहन	70.80	...	70.80
<b>जोड़-आर्थिक सेवार्यें</b>	<b>17,62.45</b>	<b>57.21</b>	<b>18,19.66</b>
<b>जोड़-पूँजीगत परिव्यय की वसूलियां</b>	<b>17,63.44</b>	<b>57.21</b>	<b>18,20.65</b>
<b>कुल जोड़- पूँजीगत परिव्यय</b>	<b>3,56,59.41</b>	<b>45,83.41</b>	<b>4,02,42.82</b>
विनिवेश	(-)12,95.85	...	(-)12,95.85
<b>ऋण तथा अग्रिम-</b>			
<b>विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-</b>			
<b>सामाजिक सेवार्यें</b>			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	5.11	1.87	6.98
जलापूर्ति तथा सफाई, आवास और शहरी विकास	17.09	(-)0.39	16.70
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3.25	...	3.25
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1.08	...	1.08
<b>आर्थिक सेवार्यें</b>			
कृषि तथा सम्बन्ध कार्यकलाप	1,86.62	25.14	2,11.76
ग्रामीण विकास	0.47	(-)0.01	0.46
ऊर्जा	61,81.15	4,15.93	65,97.08

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			
पूँजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त ऋण तथा अग्रिम- विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम- उद्योग तथा खनिज	77.73	4.08	81.81
सामान्य आर्थिक सेवायें	0.10	...	0.10
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	33.56	(-)0.47	33.09
विविध ऋण	1.02	...	1.02
<b>जोड़-ऋण तथा अग्रिम</b>	<b>65,07.18</b>	<b>4,46.15</b>	<b>69,53.33</b>
<b>जोड़-पूँजीगत तथा अन्य व्यय</b>	<b>4,21,66.59</b>	<b>50,30.48</b>	<b>4,71,96.15</b>
घटाएं विविध पूँजीगत वसूली से अंशदान (विनिवेश)	12,95.85	...	12,95.85
<b>निवल जोड़-पूँजीगत तथा अन्य व्यय</b>	<b>4,08,70.74</b>	<b>50,30.48</b>	<b>4,59,00.30</b>
निधियों के मुख्य स्रोत			
राजस्व (+) आधिक्य (-) घाटा		15,08.21*	
जमा-विनिवेश के कारण समायोजित राशि ऋण-	(-)12,95.85	...	(-)12,95.85
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	3,35,91.48	17,71.71	3,53,63.19
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	10,79.42	(-)17.66	10,61.76
लघु बचतें, भविष्य निधियां, आदि	1,32,36.38	11,13.15	1,43,49.53
<b>जोड़-ऋण</b>	<b>4,79,07.28</b>	<b>28,67.20</b>	<b>5,07,74.48</b>
अन्य प्राप्तियां-			
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00
आरक्षित निधियां	3,25.02	(-)7.43	3,17.59
जमा तथा अग्रिम	27,97.67	4,08.91	32,06.58

\*पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

## 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को	वर्ष 2018-19 के दौरान	31 मार्च 2019 को
1	2	3	4
(₹ करोड़ में)			
<b>अन्य प्राप्तियां</b>			
उच्चत तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)	73.22	1.08	74.30
प्रेषण	3,97.24	1,12.25	5,09.49
<b>जोड़-अन्य प्राप्तियां</b>	<b>35,98.15</b>	<b>5,14.81</b>	<b>41,12.96</b>
<b>जोड़-ऋण तथा अन्य दायित्व</b>	<b>5,15,05.43</b>	<b>33,82.01</b>	<b>5,48,87.44</b>
<b>अन्य प्राप्तियां</b>			
घटाएं- रोकड शेष	(-)5,40.68	4,91.10	(-)49.58
घटाएं- निवेश	7,23.72	(-)6,21.63	1,02.09
जमा- सरकारी लेखे को संवृत राशि	..	...	...
<b>निधियों का निवल प्रावधान</b>	<b>5,13,22.39</b>	<b>50,20.75</b>	<b>5,48,34.93</b> (क)

पूँजीगत एवं अन्य परिव्यय तथा निधियों के निवल प्रावधान के प्रगामी आंकड़ों में ₹ 89,78.26 करोड़ अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से है:-

**1 राजस्व घाटा**

- |                                  |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| (i) 31 मार्च 2018 तक राजस्व घाटा | (-)1,04,64.70 |             |
| (ii) चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+) | (+)15,08.21*  | (-)89,56.49 |

**2 राशियों का निम्न समाधान**

- |  |         |          |
|--|---------|----------|
| (i) अंतर्राज्यीय समाधान                              | (-)1.43 | ...      |
| (ii) कूल राशि का " 7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन " | (-)5.00 | ...      |
| (iii) विविध सरकारी लेखे                              | (-)7.84 | ...      |
| (iv) प्रफॉर्मा द्वारा कुल राशि का समायोजन            | (-)7.50 | (-)21.77 |

**कुल जोड़-****89,78.26**

कम

\* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी देखें (खण्ड-I)।

(क) अथ शेष ₹ 5,48,34.93 करोड़ कम है ₹ 15,08.21 करोड़ से (राजस्व आधिक्य)।

**13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार**

(क) 31 मार्च 2019 को शेष राशियों का सारांश निम्न प्रकार से है:-

नामे शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
	क से घ, छ, ज तथा ठ का भाग (मुख्य शीर्ष 8680 केवल)	सरकारी लेखा	
4,78,81.59 (क)		लोक ऋण	3,64,24.95
69,53.33	ड.	ऋण एवं अग्रिम	...
...	च-	आकस्मिकता निधि	5.00
...	छ-	आकस्मिकता निधि	5.00
...	झ-	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	1,43,49.53
...	ज-	आरक्षित निधि-	
...		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां-	1.00
...		(ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	
...		सकल शेष	3,16.59
...	ट-	जमा और अग्रिम-	
...		(i) ब्याज वाली जमा राशियां	(- )1.42
...		(ii) ब्याज रहित जमा राशियां	32,08.52
0.53		(iii) अग्रिम	...
1,02.09	ठ-	उचन्त और विविध	
		(i) निवेश	...
		(ii) अन्य मदे (निवल)	74.30
		समेकित निधि	
	ड-	प्रेषण-	
...		(i) एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले	
...		अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन	5,09.19
...		(ii) अर्न्तसरकारी समायोजन लेखे	0.30
(-)49.58 (ख)	ढ-	रोकड़ शेष (अंत शेष)	...
<b>5,48,87.96</b>			<b>5,48,87.96</b>

(क) इन आंकड़ों को समझने के लिए कृपया (ख) पृष्ठ संख्या 37 (खण्ड-I) देखें।

(ख) रोकड़. -शेष में शामिल " रिजर्व बैंक के पास जमा से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर था। इस विसंगति का समाधान किया जा रहा है।

पृष्ठ संख्या 190 (खण्ड-II) पर दी गई पाद-टिप्पणी (क) भी देखें।



### 13.समेंकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

**ख. सरकारी लेखा:-** सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अंग्रेषित नहीं किया जाता है, उन्हें "सरकारी लेखा" नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है। इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

(क) रोकड़- शेष में शामिल " रिजर्व बैंक के पास जमा " से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकड़ों के बीच अन्तर था। इस विसंगती का समाधान किया जा रहा है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे डाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से है:-

नामे	विवरण	जमा (₹ करोड़ में)
4,48,15.21	क- 1 अप्रैल 2018 को सरकारी लेखे में नामे शेष ख- प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) ग- प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	3,09,50.32* 8.82
2,94,42.11	घ- व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	...
45,83.11	ड.- व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) च- उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखा)	... ...
	छ- 31 मार्च 2019 को सरकारी लेखों में नामे शेष	4,78,81.59
<b>7,88,40.73</b>	<b>जोड़</b>	<b>7,88,40.73</b>

टिप्पणी:- कई मामलों में अन्तिम शेषों में असमायोजित भिन्नताएं है जैसाकि प्राप्ति, वितरण और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे की विवरणियों (विवरणी-16) में बताया गया है व लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय के इस उद्देश्य से बनाए गए रजिस्ट्ररों अथवा रिकार्ड में दर्शाया गया है। विसंगतियों के समाधान के लिए पग उठाये जा रहे हैं।

अन्तिम शेष प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण और सहमति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। अधिकतर मामले में सहमतियाँ प्राप्त नहीं होती ।

\* पृष्ठ संख्या 4 पर पाद टिप्पणी (खण्ड-1) देखें।

## लेखाओं पर टिप्पणियाँ

### 1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार:

#### (i) लेखाकरण अवधि तथा अस्तित्व

ये लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लेन देनों को प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं को 18 जिला कोषागारों, 80 लोक निर्माण मण्डलों, 89 वन मण्डलों, 54 सिंचाई मण्डलों द्वारा प्रेषित प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की सम्मतियों के आधार पर संकलित किया गया है। राज्य सरकार के लेखे प्रस्तुत करने वाली इकाईयों द्वारा प्रेषित लेखे संतोषजनक थे तथा किसी भी लेखे को वित्तीय वर्ष के अन्त में असमायोजित नहीं रखा गया।

#### (ii) लेखाकरण के आधार

कुछ आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन (अनुबन्ध-क) के अपवाद सहित, लेखे चालू वर्ष के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाते हैं। सरकारी निवेश आदि प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत अर्थात् अर्जन/खरीद वर्ष के मूल्य पर दर्शाया जाता है। प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों को अवमूल्यित या ऋण परिशोधित नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्तिकाल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान संवितरित किए गए सेवा निवृत्ति लाभांशों सम्बन्धी देयताओं को लेखाओं में दर्शाया गया है, परन्तु सरकार की भविष्य में पेंशन देयताओं अर्थात् कर्मचारियों की पिछली एवं वर्तमान सेवाओं से सम्बन्धित सेवा-निवृत्ति लाभांशों की भुगतान-सम्बन्धी देयताओं, को लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है।

#### (iii) लेखाओं को रखने की मुद्रा

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय रूपये में रखे जाते हैं।

#### (iv) लेखाओं का स्वरूप

संविधान के अनुच्छेद-150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखाओं को उसी स्वरूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें। अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'स्वरूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखाओं को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षों के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है।

#### (v) राजस्व एवं पूंजीगत के बीच वर्गीकरण

राजस्व व्यय एक आवर्ती स्वरूप का व्यय है जिसे राजस्व प्राप्तियों में से ही किया जाना है। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय ऐसे व्यय से है जिसे वस्तुपूरक एवं स्थायी स्वरूप की ठोस परिसम्पत्तियों की बढ़ोतरी अथवा स्थायी देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से किया जाना है। और भी भारत सरकार लेखांकन मानक-2 (आई जी ए एस-2) के अनुसार सहायता अनुदानों पर हुए व्यय को अन्तिम उपयोगिता को ध्यान में न रखते हुए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

## 2. लेखाओं की गुणवत्ता:

### (i) लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत सरकार द्वारा तीन लेखा मानकों को अधिसूचित किया गया है। (i) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां-प्रकटन सम्बन्धी आवश्यकताएं (भा.ले.मा.-1) (ii) सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण (भा.ले.मा.-2) (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के सम्बन्ध में (भा.ले.मा.-3)। इन लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) माल एवं सेवाकर - अग्रिम विभाजन तथा अविभाजित माल एवं सेवाकर का हस्तान्तरण:- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों के अर्न्तगत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अग्रिम विभाजन के फलस्वरूप ₹559.24 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी तथा 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर ₹107.00 करोड़ की राशि कथित रूप से हि0 प्र0 सरकार को हस्तान्तरित हुई।

### (iii) सार आकस्मिक बिल/विस्तृत आकस्मिक बिल

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार आकस्मिक बिलों (ए.सी.) के निकासी की निगरानी करने व उनके विस्तृत आकस्मिक बिलों (डी. सी.) के रूप में व्यय के समायोजन के लिए कोई प्रक्रिया विकसित नहीं की है। निकासी के बिल एच0पी0टी0आर0-5 फार्म पर बनाये जा रहे हैं जिसका उपयोग साधारण बिलों के आहरण के लिए किया जाता है। राज्य सरकार ने एकीकृत वित्तिय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) में सार आकस्मिक अग्रिमों की पहचान के लिए प्रक्रिया विकसित नहीं की है। इसलिए, प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0), हिमाचल प्रदेश का कार्यालय सार आकस्मिक बिलों की पहचान नहीं कर सका, न ही विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी कर सका। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश ने आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा और खेल सेवाएं, बागवानी व कृषि जैसे पाँच विभागों का निरीक्षण किया और पाया कि इन पाँच विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014-2019 की अवधि में ₹32.03 करोड़ रुपये के 306 सार आकस्मिक बिल आहरित किए। जिसमें से, ₹28.68 करोड़ के 75 सार आकस्मिक बिल (आयुर्वेद 62: ₹14.70 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 13: ₹13.98 करोड़ ) अगस्त 2019 तक समायोजन हेतु लम्बित थे। यह बैंक खातों में धन की पाकिंग के साथ व्यय को अधिक दर्शाने के परिणामी प्रभाव के अलावा दुर्विनियोजन/गबन के जोखिम से भरा है।

### (iv) लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

विशेष प्रयोजनों हेतु संस्वीकृत अनुदानों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमवाली, 1971 (संशोधित2009) के नियम-157 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त किया जाना चाहिये, जिसे सत्यापित किए जाने के उपरान्त संस्वीकृति में उल्लिखित तिथियों के भीतर महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता-अनुदान को सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों के अनुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(₹करोड़ में)
2016-17 तक	669	368.35
2017-18	450	408.73
2018-19	1,288	1,121.72
<b>कुल</b>	<b>2,407</b>	<b>1,898.80</b>

(\* वर्णित वर्ष, देय वर्ष अर्थात वास्तविक आहरण से 12 माह बाद से सम्बन्धित है। )

वर्ष 2018-19 में ₹3,229.62 करोड़ के 3,351 प्रमाण पत्र (वर्ष 2017-18 के ₹2,022.70 करोड़ के 1,591 प्रमाण पत्र और वर्ष 2018-19 के ₹1,206.92 करोड़ के 1,760 प्रमाण पत्र) प्राप्त हो चुके हैं।

31 मार्च 2019 तक 77 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार विभागों; पंचायती राज विभाग (₹990 करोड़ के 1.165 उपयोगिता प्रमाण पत्र), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹20.00 करोड़ के 390 उपयोगिता प्रमाण पत्र), उद्योग (₹59 करोड़ के 156 उपयोगिता प्रमाण पत्र), एवं ग्रामीण विकास (₹280 करोड़ के 152 उपयोगिता प्रमाण पत्र) से लम्बित थे।

#### (v) व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का अन्तरण

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 खण्ड-1 नियम संख्या 12.7 के अन्तर्गत व्यक्तिगत जमा खातों का संचालन समेकित निधि में से राशियों के अन्तरण द्वारा किया जाता है, जिसे निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय को संबंधित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत जमा खातों में पड़े अव्ययित शेषों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को समेकित निधि में वापिस अन्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को अगले वर्ष पुनः खोला जाता है। पिछले कई वर्षों से अनुरोध करने पर भी इन नियमों का राज्य सरकार द्वारा अनुसरण नहीं किया गया है।

व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण निम्न है:-

(₹ करोड़ में)

01.04.18 को व्यक्तिगत जमा खातों का अथ शेष		वर्ष 2018-19 के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष 2018-19 के दौरान बन्द किए गए व्यक्तिगत जमा खाते	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान संयोजन	इतिशेष 31.03.2019		संचालित लेखे		असंचालित लेखे	
संख्या	राशि	शून्य	शून्य	(-)0.41*	0.40	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
112	3.37					112	2.56	102	2.43	10	0.13

(\*पिछले वर्षों के गलत वर्गीकरण को ठीक किया गया है।)

(i) 1 वर्ष से अधिक अवधि तक असंचालित राशि -- ₹0.13 करोड़

(ii) 3 वर्ष से अधिक अवधि तक असंचालित राशि -- शून्य

#### (vi) प्रमुख नियन्त्रण अधिकारियों तथा प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) के मध्य प्राप्ति तथा व्यय का मिलान

सरकार की प्राप्ति तथा व्यय के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों के साथ प्रमुख नियन्त्रण अधिकारी (सी.सी.ओ.)/नियन्त्रण अधिकारी (सी.ओ) द्वारा मिलान किया जाना अनिवार्य है। इस तरह से 100 प्रतिशत मिलान सभी कुल प्राप्तियों ₹30,959.14 करोड़ (100 सी.सी.ओ.) एवं कुल व्यय ₹34,025.52 करोड़ (318 सी.सी.ओ.) के सम्बन्ध में पूर्ण कर लिया गया है।

#### (vii) रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक जमा)

प्रधान महालेखाकार द्वारा निकाले गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष ₹49.58 करोड़ (जमा) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बतलाए गए रोकड़-शेष ₹45.28 करोड़ (नामे) के बीच ₹4.30 करोड़ (निवलजमा) का अन्तर था। इसमें से ₹2.80

करोड़ का अन्तर मिलान पूर्ण कर लिया गया है और शेष अन्तर ₹1.50 करोड़ का मिलान किया जा रहा है। (मई 2019)

### 3. अन्य मदें

#### (i) पेंशन लाभ देनदारियाँ

वर्ष के दौरान 14 मई 2003 या उससे पहले नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर ₹4,726.84 करोड़ व्यय किया गया (जिसमें ₹379.02 करोड़ अवकाश नगदीकरण लाभ सम्मिलित हैं) जोकि राज्य के कुल राजस्व व्यय ₹29,442.11 करोड़ का 16.05 प्रतिशत है। 15 मई 2003 से नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के हकदार है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों (कर्मचारी एवं नियुक्ता) प्रकार के अंशदानों को आरम्भ में लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-अन्य जमा, 117- सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में जमा किया जाना है। तत्पश्चात, संपूर्ण राशि को उसी वर्ष में पदनामित निधि प्रबंधक के द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभूति जमानिगमित (एन. एस. डी. एल.)/ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित किया जाना है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार को कर्मचारी शेयर के लिए ₹301.95 करोड़ मिले। राज्य सरकार के तुलनात्मक अंशदान/हिस्से के ₹301.95 करोड़ और लोक लेखा शीर्ष 8342 के अन्तर्गत सार्वजनिक खाते में उपलब्ध ₹0.89 करोड़ (नामे) के प्रारंभिक शेष राशि को ध्यान में रखते हुए कुल ₹603.01 करोड़ को एन. एस. डी. एल. को हस्तांतरित किया जाना था। संपूर्ण राशि को लोक लेखा खाते के माध्यम से अन्तरण न करने के कारण प्रतिकूल शेष ₹0.89 करोड़ से बढ़कर ₹1.41 करोड़ हो गया है।

एन. एस. डी. एल. से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान कुल राशि ₹606.00 करोड़ जमा की गई थी। एन. एस. डी. एल. को हस्तांतरित ₹606.00 करोड़ में से केवल ₹525.43 करोड़ निर्धारित लेखा प्रक्रिया के बाद सरकार के खाते से भेजे गए हैं।

#### (ii) गारंटियाँ

वर्ष 2018-19 के वित्त लेखे की विवरणी-9 में दी गई सूचना राज्य सरकार/निगमों/बोर्डों/सरकारी कम्पनियों, सहकारी समिति/बैंक के 14 साविधिक निगमों/बोर्डों/सरकारी कम्पनियों तथा एक सहकारी समिति/बैंक से प्राप्त सूचना पर आधारित है। 31 मार्च 2019 के अन्त तक बकाया देनदारियों के विरुद्ध ₹4,309.21 करोड़ की गारंटियाँ दी गईं। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित) के अनुसार कुल बकाया गारंटियां चालू वर्ष से पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 40 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। इस प्रकार बकाया गारंटियां वर्ष 2017-18 की राजस्व प्राप्तियों का 15.75 प्रतिशत है जो कि हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के भीतर है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने उधारों/गारंटियों पर गारन्टी शुल्क की कोई अधिसूचना जारी नहीं की तथा राज्य सरकार द्वारा कोई गारन्टी शुल्क प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

#### (iii) ऋण एवं अग्रिम

सरकारी कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिमों को छोड़ कर जिनका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) रखते हैं को विवरणी 7 व 18 में दिखाई गई अन्य सभी ऋणों एवं अग्रिमों की सूचना राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त की गई है जो इनके लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी है। इन विवरणियों में ब्याज भुगतान के बकाया का ब्यौरा नहीं दिया गया है क्योंकि इस सूचना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा ₹467,98 करोड़ के ऋण विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किए गए। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार को अग्रिम की वापसी के स्वरूप में ₹21.83 करोड़ प्राप्त हुए, इसमें से, ₹8.07 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के अग्रिम की वापसी के स्वरूप में तथा ₹13.76 करोड़ अन्य बकाया ऋणों की वापसी के रूप में प्राप्त हुए।

31 मार्च 2019 तक शेष ऋण ₹6,953.33 करोड़ में धर्मशाला नगरपालिका एवं सोलन नगरपरिषद को ₹7 करोड़ की राशि की स्वीकृति के लिये राज्य सरकार द्वारा नियम व शर्तें पत्राचार की श्रृंखला के बावजूद प्रदान नहीं की गयी है। बकाया ऋण/ब्याज की राशि की सम्बन्धित विभागों द्वारा पुष्टि नहीं की गयी है।

#### (iv) निवेश

राज्य सरकार वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी संस्थानों के इक्विटी और शेयरों में निवेश करती है। लेखाओं के अनुसार 67 इकाईयों में सरकार का निवेश 31 मार्च 2019 तक ₹3,848.83 करोड़ था। जिनमें से ₹181.91 करोड़ लाभांश/ब्याज (कुल निवेश का 4.73 प्रतिशत है) प्राप्त हुए। इनमें से केन्द्रीय सरकार कम्पनी हिमाचल प्रदेश सतलुज जल विद्युत निगम (पहले नाथपा झाकड़ी पॉवर कॉर्पोरेशन) में निवेशित ₹1,098.14 करोड़ से ₹179.35 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ तथा 66 इकाईयों में निवेशित ₹2,750.69 करोड़ से केवल ₹2.56 करोड़ का लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ। यद्यपि, राज्य सरकार से इन आंकड़ों की पुष्टि की आवश्यकता है क्योंकि इन संस्थाओं से आकड़ों का मिलान नहीं किया गया है।

#### (v) माफ किये गये केन्द्रीय ऋणों की अतिरिक्त अदायगी का समायोजन

दिनांक 29 फरवरी 2012 के सभी आदेशों की श्रृंखला में 13वें वित्त आयोग वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को माफ कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकार को मूल राशि और ब्याज की अधिक अदायगी को इस आदेश के प्रभावी रूप से लागू होने की तिथि (31 मार्च 2010) से वित्त मंत्रालय को भविष्य में होने वाले भुगतान के सापेक्ष समायोजित करने की अनुमति दी थी। ₹15.58 करोड़ के अधिक भुगतान में से वित्त मंत्रालय द्वारा 2013-14 के दौरान दी जाने वाली देनदारियों के सम्मुख ₹10.57 करोड़ को समायोजित व 2018-19 के दौरान दी जाने वाली देनदारियों के सम्मुख ₹0.55 करोड़ को समायोजित कर दिया गया था तथा ₹4.46 करोड़ का समायोजन अभी लम्बित है। ₹4.46 करोड़ का अधिक पुनः भुगतान जो कि मूल राशि और ब्याज के वर्गीकरण के अभाव के कारण वित्त मंत्रालय के द्वारा समायोजन के लिये लम्बित है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के ऋण खातों में प्रतिकूल शेष तथा लोक ऋण में अधिक विवरण को तब तक दर्शाएगा जब तक कि इन्हें समायोजित या अपलिखित नहीं कर दिया जाता। अपलिखित ऋणों का मंत्रालय-वार विवरण अनुबन्ध-ख में दिया गया है:-

#### (vi) आरक्षित निधियां

विभिन्न आरक्षित/जमा निधि में राज्य सरकार के अंशदान एवं उनकी उपयोगिता पर प्रधान महालेखाकार (ले0 व ह0) द्वारा किए गए बुक-समायोजनों का विवरण अनुबन्ध-क में इंगित किया गया है।

यद्यपि, आरक्षित निधियों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:

##### (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां:

एक आरक्षित निधि (8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ) में 31 मार्च 2019 तक कुल जमा राशि ₹1.00 करोड़ थी। आरक्षित निधियों में से राज्य सरकार द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया, इसलिए राज्य सरकार को जमा राशि पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था।

##### (ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां:

विशेष प्रयोजन हेतु दो बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों (8229-विकास और कल्याण निधियाँ- ₹315.68 करोड़, 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ- ₹0.92 करोड़) में 31 मार्च 2019 तक कुल जमा राशि ₹316.60 करोड़ थी।

**(iii) निष्क्रिय आरक्षित निधियाँ: शून्य**

महत्वपूर्ण आरक्षित निधियों पर टिप्पणियाँ निम्न प्रकार से हैं:

**(क) समेकित निक्षेप निधि**

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि (स्वैच्छिक) बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) द्वारा संचालित करना था।

आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को गत वर्ष के कुल बकाया देनदारियों का 0.5 प्रतिशत के बराबर इस निधि में अंशदान देना अपेक्षित है। बकाया देनदारियों से अभिप्राय आन्तरिक ऋण तथा लोक ऋण देनदारियों (विवरणी संख्या-6)से है। राज्य सरकार द्वारा यद्यपि समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया और न ही वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समेकित निधि में ₹255.15 करोड़ (31 मार्च 2018 को बकाया देय देनदारियाँ ₹51,030.50 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) का अंशदान दिया गया।

**(ख) गारंटी मोचन निधि**

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि(स्वैच्छिक) स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना था। यद्यपि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने गारंटी मोचन निधि को स्थापित नहीं किया गया। 14 गारंटी इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2018 तक इन 14 इकाइयों की बकाया गारंटी ₹4,393.66 करोड़ बनती है। इस आधार पर वर्ष 2018-19 में इस निधि को देय राशि ₹21.97 करोड़ का योगदान नहीं दिया गया।

**(ग) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि**

(i) तेरहवें वित्त आयोग(टी.एफ.सी) की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार ने 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि' (एस डी आर एफ) स्थापित की है। दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार को इस निधि में 90:10 के अनुपात से योगदान/अंशदान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹245.70 करोड़ केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार के आपदा प्रतिक्रिया निधि में 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में प्राप्त किये गये। राज्य सरकार द्वारा अपने देय अंशदान ₹27.35 करोड़ की जगह ₹27.35 करोड़ जारी किये गये। कुल संग्रह ₹281.53 करोड़ (आरंभिक शेष ₹8.48 करोड़ और मुख्य शीर्ष 2245-सहायता से अन्तरण ₹273.05 करोड़) जारी किये गये। राज्य सरकार द्वारा आरंभिक ₹280.53 करोड़ को प्राकृतिक आपदाओं पर किये व्यय के रूप में समायोजित किया गया। 31 मार्च 2019 को ₹1.00 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में शेष थी।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 28 सितम्बर 2010 तथा 30 जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बकाया निधि विशेष प्रयोजनों में ही निवेश की जानी चाहिए तथापि राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत राशि को निवेश नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के ओवर ड्राफ्ट अधिनियम के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को छः माह आधार पर ब्याज की अदायगी एस. डी. आर. एफ. में नहीं की गई।

(ii) 30 जुलाई 2015 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कुछ प्राकृतिक आपदाओं पर खर्च के लिये एस. डी. आर. एफ. में बकाया राशि से अधिक व्यय हो सकता है (स्वैच्छिक), जो शीघ्र सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त की जा सकती है। राज्य सरकार को ₹227.29 करोड़ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत प्राप्त हुए हैं और ₹227.24 करोड़ का व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत हुआ। ₹0.92(आरंभिक शेष ₹0.87 करोड़ + ₹227.29 करोड़ - ₹227.24 करोड़) करोड़ का शेष मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि-125- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में 31 मार्च 2019 को उपलब्ध था।

**(vii) राज्य सरकार द्वारा लगाये गए उपकर**

**1.1 भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर**

श्रमिक कल्याण लेखों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये और श्रमिक उपकरों के संग्रह की बुकिंग के लिये राज्य सरकार द्वारा उपशीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया।

श्रमिक उपकर भवन एवं सडक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 8443-सीविल डिपोजिट (नागरिक जमा)-108-सार्वजनिक निर्माण जमा, हिमाचल प्रदेश के समेकित निधि को बिना भेजे ही बनाये गये। जब तक सार्वजनिक निर्माण जमा उपशीर्ष न खुला हो, एकत्रित उपकर की राशि, वास्तव में श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तान्तरित की गई राशि, शेष राशि का हस्तांतरण और उपकर संग्रह से होने वाले व्यय का निर्धारित लेखाकंन नियमों की अनुपस्थिति में पता नहीं लगाया जा सकता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान भवन एवं सडक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों द्वारा मुख्य शीर्ष 8443-में श्रमिक उपकर के रूप में ₹22.70 करोड़ संग्रहित और ₹20.08 करोड़ संवितरित किये गये।

**1.2 परिवहन अवसंरचना निधि:-** इस निधि का सृजन हि0प्र0 मोटर वाहन कर अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक बार के कर पर 10 प्रतिशत और अन्य करों पर 10 प्रतिशत अधिभारलगाकर किया जाएगा। वर्ष के दौरान ₹12.40 करोड़ संग्रहित किये गये और मुख्यशीर्ष 0041-00-102-08 में जमा किये गये। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी लेखा प्रक्रिया नहीं बनाई गई है।

**(viii) ब्याज समायोजन**

सरकार द्वारा वर्ग 'झ -लघु बचत खातों व भविष्य निधि खातों इत्यादि', 'जः-आरक्षित निधि (आरक्षित निधि ब्याज सहित)' और 'ट-जमा खातें (जमा खातें ब्याज सहित)' तथा विशिष्ट उप मुख्य शीर्षों के शेषों पर ब्याज अदा करने का दायित्व बनता है। चालू वर्ष में मुख्य शीर्ष '2049-ब्याज अदायगी' से 03-लघु बचत खातों व भविष्य निधि खातों के लिए ₹1,063.32 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में भारित की गई है।

**(ix) उचंत तथा प्रेषण शेषों की स्थिति**

वित्त लेखे की विवरणी 21 उचंत और प्रेषण के अन्तर्गत शुद्ध शेष दर्शाती है। इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पड़े बकाया डेबिट एवं क्रेडिट शेषों को समग्र रूप से लेकर की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत तथा प्रेषण शीर्षों की स्थिति को अनुबन्ध- ग में दर्शाया गया है।

**(x) आकस्मिकता निधि**

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत ₹5.00 करोड़ का कॉर्पस है। वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

**(xi) व्यय का तीव्र प्रवाह**

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971 (संशोधित 2009) के नियम 41(3) के अनुसार विशेष रूप में वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित विभागों की गैर-योजना तथा योजना में नियन्त्रित तरीके से व्यय करने की अनुमति दें जैसे कि चौथी तिमाही में 25 प्रतिशत।

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय की तुलना, अन्तिम तिमाही, मार्च महीने में और मार्च 2019 के अन्तिम तीन दिनों में किये गए व्यय निम्न है:-



(₹ करोड़ में)

कुल व्यय 2018-19 में (प्राप्ति व्यय)	जनवरी से मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	मार्च 2019 के अन्तिम तीन दिनों में किया गया व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत		
				जनवरी से मार्च 2019	मार्च 2019	मार्च 2019 के अन्तिम तीन दिनों में
34,025.52	12,341.93	6,163.99	1,252.11	36.27	18.12	3.68

मार्च 2019 के महीने में ₹6,163.99 करोड़ की राशि जो कुल खर्च का 18.12 प्रतिशत थी व्यय की गई। इसमें से ₹1,252.11 करोड़ की राशि व्यय स्वीकृति के आधार पर पिछले तीन दिनों के दौरान व्यय के रूप में बुक की गई है। वाउचर/उप वाउचर की अनुपस्थिति में यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि व्यय किया गया है या नहीं।

(ख) मार्च 2019 में, यद्यपि, राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ₹1,749.69 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय ₹4,583.41 करोड़ का 38.17 प्रतिशत) तथा राजस्व व्यय पर ₹4,414.30 करोड़ (कुल राजस्व व्यय ₹29,442.11 करोड़ का 14.99 प्रतिशत) खर्च किया। लेखों की मुख्य शीर्ष बार विवरणी, जहां महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष लेखे जिसमें कुल व्यय का 25 प्रतिशत या इससे अधिक हैं) मार्च 2019 में व्यय हुआ, अनुबन्ध- घ में दर्शाया गया है। ₹6,163.99 करोड़ व्यय (पूंजीगत व्यय ₹1,749.69 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹4,414.30 करोड़) के अनुपात में मार्च 2019 में ₹4,147.26 करोड़ की प्राप्ति भी की, जो कुल प्राप्तियों ₹30,959.14 करोड़ का 13.40 प्रतिशत है। लेखों की मुख्य शीर्ष बार विवरणी, जहां महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष लेखे जिसमें कुल प्राप्तियों का 25 प्रतिशत या इससे अधिक हैं) मार्च 2019 में प्राप्त हुआ, अनुबन्ध- ङ में दर्शाया गया है। मार्च माह में व्यय का मुख्य रूपेण अन्तरण, विशेष कर अन्तिम दिन में, यह दर्शाता है कि व्यय का मुख्य उद्देश्य बजट को समाप्त करना था और यह अपर्याप्त बजट प्रबन्धन को दर्शाता है।

(ग) जनवरी से मार्च के दौरान प्राप्ति और व्यय की तुलनात्मक विवरणी नीचे सारणीबद्ध दर्शायी है।

(₹ करोड़ में)

माह	प्राप्ति		कुल प्राप्ति	व्यय		कुल व्यय
	राजस्व	पूंजीगत		राजस्व	पूंजीगत	
जनवरी	3,067.05	-	3,067.05	2,140.52	645.35	2,785.87
फरवरी	2,583.98	3.04	2,587.02	3,031.53	360.54	3,392.07
मार्च	4,146.94	0.32	4,147.26	4,414.30	1,749.69	6,163.99
कुल	9,797.97	3.36	9,801.33	9,586.35	2,755.58	12,341.93

(xii) मुख्य शीर्ष 8670- चैक तथा बिल का परिचालन

मुख्य शीर्ष 8670 के अन्तर्गत उन चैकों का शेष दर्शाया जाता है, जिन्हें कोषागारों द्वारा जारी किया गया है परन्तु भुगतान नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सभी कोषागारों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए वास्तविक समय सकल व्यवस्था

(आर.टी.जी.एस) प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 31 मार्च 2019 के अन्त तक नई दिल्ली कोषागार द्वारा जारी ₹0.37 करोड़ के चैकों का भुगतान लम्बित है, जिसका मिलान किया जा रहा है।

**(xiii) राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के अलावा दी गई निधियां)**

मार्च 2014 तक, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए निधि सीधे अन्तरित की जाती थी। महालेखा नियंत्रक के सार्वजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस) पोर्टल के अनुसार 2018-19 में हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों को भारत सरकार द्वारा ₹962.08 करोड़ जारी किये। विवरण परिशिष्ट-6 में उपलब्ध है। भारत सरकार के निर्णयानुसार सभी सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी न करके सीधे राज्य सरकार को जारी की जानी चाहिये। कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अन्तरण में वर्ष 2017-18 (₹901.83 करोड़) की अपेक्षा 6.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

**(xiv) उज्ज्वल डिस्कांम एश्योरेंस योजना (उदय)**

बिजली वितरण कम्पनियों को पुनरुत्थान पैकेज देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण दाता बैंकों को ₹2,890.50 करोड़ (30 सितम्बर 2015 को बकाया राशि का 75 प्रतिशत) के बाँड़ जारी करके डिस्कांम ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्राप्त किया। उपर्युक्त राशि मुख्य शीर्ष 6801-विद्युत परियोजनाओं को ऋण के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण के रूप में वितरित की गई। राज्य सरकार ने बाँड़ धारकों को ब्याज के रूप में ₹227.78 करोड़ दिये और वर्ष 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से ₹227.78 करोड़ वसूल किए।

**(xv) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफ. आर. बी. एम./एम.टी.एफ.पी.) अधिनियम**

बढते राजस्व घाटे और ऋण प्रबंधन इत्यादि को कम करने के लिए विवेकशील राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय स्थिरता हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (रा. उ. ब. प्र.) (एफ. आर. बी. एम. अधिनियम 2005) लागू किया। यद्यपि, चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्य सरकार ने एफ.आर. बी. एम. अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया। अब तक विभिन्न मापदण्डों के अनुसार राज्य सरकार की उपलब्धियां निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	मापदंड	लेखों के अनुसार उपलब्धियां
1.	मार्च 2011-2012 तक राजस्व घाटा समाप्त करना और तत्पश्चात राजस्व आधिक्य बनाये रखना।	लेखों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार का 2017-18 में ₹313.90 करोड़ और 2018-19 में ₹1,508.21 करोड़ राजस्व आधिक्य था।
2.	वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकलन के अनुसार तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्य 3.5 प्रतिशत था।	लेखों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार का वर्ष 2017-18 में ₹3,869.87 करोड़, जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 2.85 प्रतिशत और 2018-19 में ₹3,512.53 करोड़ जोकि सकल घरेलू उत्पाद का 2.31 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा था।
3.	वर्ष 2018-19 के दौरान ऋण और अन्य दायित्व सकल घरेलू उत्पाद का 32.82 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।	राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण और अन्य दायित्व (₹54,299.21 करोड़) 31 मार्च 2019 को सकल घरेलू उत्पाद का 35.76 प्रतिशत था।

4.	दीर्घ अवधि के ऋणों पर बकाया जोखिम भारत गारन्टीज गत वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।	31 मार्च 2019 के अंत में दीर्घ अवधि के ऋण की बकाया गारन्टीज (राज्य सरकार द्वारा अनुमानित) गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की 15.75 प्रतिशत थी, जो कि निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत के अनुरूप थी।
----	---	--

**टिप्पणी:- सकल राज्य घरेलु उत्पाद-**सकल राज्य घरेलु उत्पाद आंकड़े (₹1,51,835 करोड़) हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से लिए गये, क्योंकि यह आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत राज्य सरकार ने राज्य विधानमंडल में यह प्रकटीकरण किया ।

#### (xvi) देय देनदारियाँ

राज्य सरकार ने भविष्य में देय देनदारियों के विषय में कोई जानकारी प्रदान नहीं की है। अतः इसलिए इसे लेखे में समावेश नहीं किया जा रहा है।

#### (xvii) राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

पिछले अनुच्छेदों में दिये गये विवरण का राज्य सरकार के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मर्दे	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
3 (i)	पेंशन लाभ देनदारियाँ	80.57	-	-	-
3 (vi) ग	एस.डी.आर.एफ/एन.डी.आर.एफ के बकाया पर ब्याज न देना ।	0.15	0	0	0.15
	<b>कुल प्रभाव</b>	<b>आधिक्य</b>		<b>कमी</b>	

## अनुबन्ध-क

## (I). आवधिक समायोजन:

लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 1(ii) व 3(vi) के संदर्भ में

(₹करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्थानान्तरित	8121 नामे	2245 (-)नामे	280.53	यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है।
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को स्थानान्तरण	2245 नामे	8121 जमा	273.05	यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को किए गए अन्तरण को दर्शाता है।
3.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से स्थानान्तरित	8235 नामे	2245 (-)नामे	227.24	यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से किए गए व्यय को दर्शाता है।
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को स्थानान्तरण	2245 नामे	8235 जमा	227.29	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को किए गए अन्तरण को दर्शाता है।

## (II) बुक समायोजन:

(₹करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	सामान्य भविष्य निधि का अंशदान/वसूली	2202	8009	1191.54	...
2.	-तदैव-	2210	8009	247.73	...
3.	-तदैव-	3054	8009	241.27	...
4.	-तदैव-	2055	8009	210.66	...
5.	-तदैव-	2215	8009	129.54	...
6.	-तदैव-	2406	8009	67.69	...
7.	-तदैव-	2702	8009	63.56	...
8.	-तदैव-	2059	8009	58.45	...
9.	-तदैव-	2403	8009	54.01	...

10.	-तदैव-	2211	8009	39.72	
11.	-तदैव-	2401	8009	39.40	...
12.	-तदैव-	2014	8009	37.51	
13.	-तदैव-	2029	8009	36.43	...
14.	-तदैव-	2053	8009	34.34	...
15.	-तदैव-	2515	8009	29.70	...
16.	-तदैव-	अन्य	8009	175.53	...
		<b>जोड़</b>		<b>2,657.08</b>	...

## (III) अन्य समायोजन:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बुक समायोजन	मुख्य शीर्ष		राशि	अभियुक्तियां
		से	को		
1.	राजस्व प्राप्तियों शीर्ष को अन्तरण	8443 (-)जमा	0075 जमा	10.98	राजस्व शीर्ष को अन्तरित व्यपगत जमा
2.	राजस्व प्राप्तियों शीर्ष को अन्तरण	6004 (-)जमा	0075 जमा	0.55	बट्टे खाते में डालना/13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ऋण माफी/छूट

## अनुबन्ध- ख

माफ किये गये केन्द्रीय ऋणों की अतिरिक्त अदायगी का समायोजन

लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 3(v) के संदर्भ में

मंत्रालय/विभाग	बट्टे खाते में डालना	अधिक भुगतान
कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य विभाग	वर्ष 2011-12 में ₹0.01 करोड़ बट्टे खाते में डाले ।	₹0.02करोड़ (मूल राशि) और ₹0.01 करोड़ (ब्याज) ।
जहाजरानी एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	वर्ष 2011-12 में ₹0.02 करोड़ बट्टे खाते में डाले ।	₹0.13करोड़ (मूल राशि) और ₹0.02 करोड़ (ब्याज) ।
शहरी विकास मंत्रालय	वर्ष 2012-13 में ₹0.24 करोड़ बट्टे खाते में डाले ।	₹0.07करोड़ (मूल राशि) और ₹0.06 करोड़ (ब्याज) ।
उर्जा मंत्रालय	वर्ष 2012-13 में ₹0.23 करोड़ बट्टे खाते में डाले ।	₹1.31करोड़ (मूल राशि) और ₹0.19 करोड़ (ब्याज) ।
कृषि मंत्रालय	वर्ष 2011-12 में ₹30.50 करोड़ और 2018-2019 में ₹0.55 करोड़ बट्टे खाते में डाले ।	₹6.19करोड़ (मूल राशि) और ₹7.58 करोड़ (ब्याज) ।

अनुबन्ध- ग  
उचंत तथा प्रेषण शीषों की स्थिति  
लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 3(ix) के संदर्भ में

(₹ करोड़ में)

लघु शीष का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658- उचंत लेखे						
101- वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	77.13	29.96	86.03	36.55	96.21	35.55
शुद्ध	47.17नामे		49.48नामे		60.66नामे	
102-उचंत लेखा (सिविल)	275.05	275.24	171.47	164.12	149.77	131.53
शुद्ध	0.19 नामे		7.35 नामे		18.24नामे	
110-रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	---	0.03	0.03	0.03	0.57	---
शुद्ध	0.03नामे		-शून्य-		0.57 नामे	
112- स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	380.08	394.95	400.08	453.76	484.05	497.09
शुद्ध	14.87जमा		53.68जमा		13.04 जमा	
129-सामग्री खरीद समायोजन उचंत लेखा	175.64	399.29	270.59	347.59	164.43	305.64
शुद्ध	223.65जमा		77.00जमा		141.21 जमा	
<b>8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकदी प्रेषण और समायोजन</b>						
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	6,342.70	6,652.78	6,668.66	7,037.44	7,185.44	7,660.51
शुद्ध	310.08जमा		368.78जमा		475.07 जमा	
103- वन प्रेषण	139.25	163.86	120.04	151.49	151.59	187.49
शुद्ध	24.61जमा		31.45जमा		35.90 जमा	

## अनुबन्ध- घ

## व्यय का तीव्र प्रवाह

लेखाओं पर टिप्पणियाँ ---3(xi) के संदर्भ में

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष लेखे जिसमें राजस्व व्यय मार्च 2019 में कुल व्यय का 25 से 100 प्रतिशत के मध्य है।					
क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय 2018-19	मार्च 2019 में व्यय	प्रतिशत
1	2059	लोक निर्माण कार्य	215.49	66.90	31.05
2	2216	आवास	103.31	56.18	54.38
3	2220	सूचना तथा प्रचार	52.30	15.46	29.56
4	2401	फसल कृषि कर्म	644.84	176.72	27.41
5	2402	मृदा तथा जल संरक्षण	66.33	17.06	25.72
6	2408	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	340.14	86.28	25.37
7	3451	सचिवालय-आर्थिक सेवार्ये	45.01	19.80	43.99

## अनुबन्ध- घ

## व्यय का तीव्र प्रवाह

लेखाओं पर टिप्पणियाँ---पैरा 3(xi) के संदर्भ में

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष लेखे जिसमें राजस्व व्यय मार्च 2019 में कुल व्यय का 25 से 100 प्रतिशत के मध्य है।					
क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय 2018-19	मार्च 2019 में व्यय	प्रतिशत
1	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	139.06	90.70	65.22
2	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.99	13.46	61.21
3	4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	326.90	86.17	26.36
4	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	345.61	223.20	64.58
5	4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	417.69	146.97	35.19
6	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	73.47	50.63	68.91
7	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	59.00	28.74	48.71
8	4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	226.60	133.91	59.10
9	4705	कमांड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	42.02	26.28	62.54

10	4801	बिजली परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	250.00	130.73	52.29
11	4851	ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	46.43	26.11	56.24
12	5002	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	60.00	17.00	28.33
13	5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	1,940.98	656.80	33.84
14	5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	53.86	28.18	52.32

अनुबन्ध- ड

मार्च में प्राप्तियां

लेखाओं पर टिप्पणियाँ--पैरा 3(xi) के संदर्भ में

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष लेखे जिसमें मार्च 2019 में प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का 25 से 100 प्रतिशत के मध्य हैं।					
क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियां 2018-19	मार्च 2019 में प्राप्तियां	प्रतिशत
1	0070	अन्य प्रशासनिक सेवार्ये	51.34	14.51	28.26
2	0075	विविध सामान्य सेवार्ये	20.76	16.32	78.61
3	0408	खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार	98.37	98.33	99.96





© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2019  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)